2023

GK A

GK (जीके) का उन्नत संस्करण GK A (जीका)

सम-सामयिक घटना चक्र

परीक्षा संवाद के 30 वर्ष

General Knowledge Awareness

सामान्य ज्ञान जागरूकता

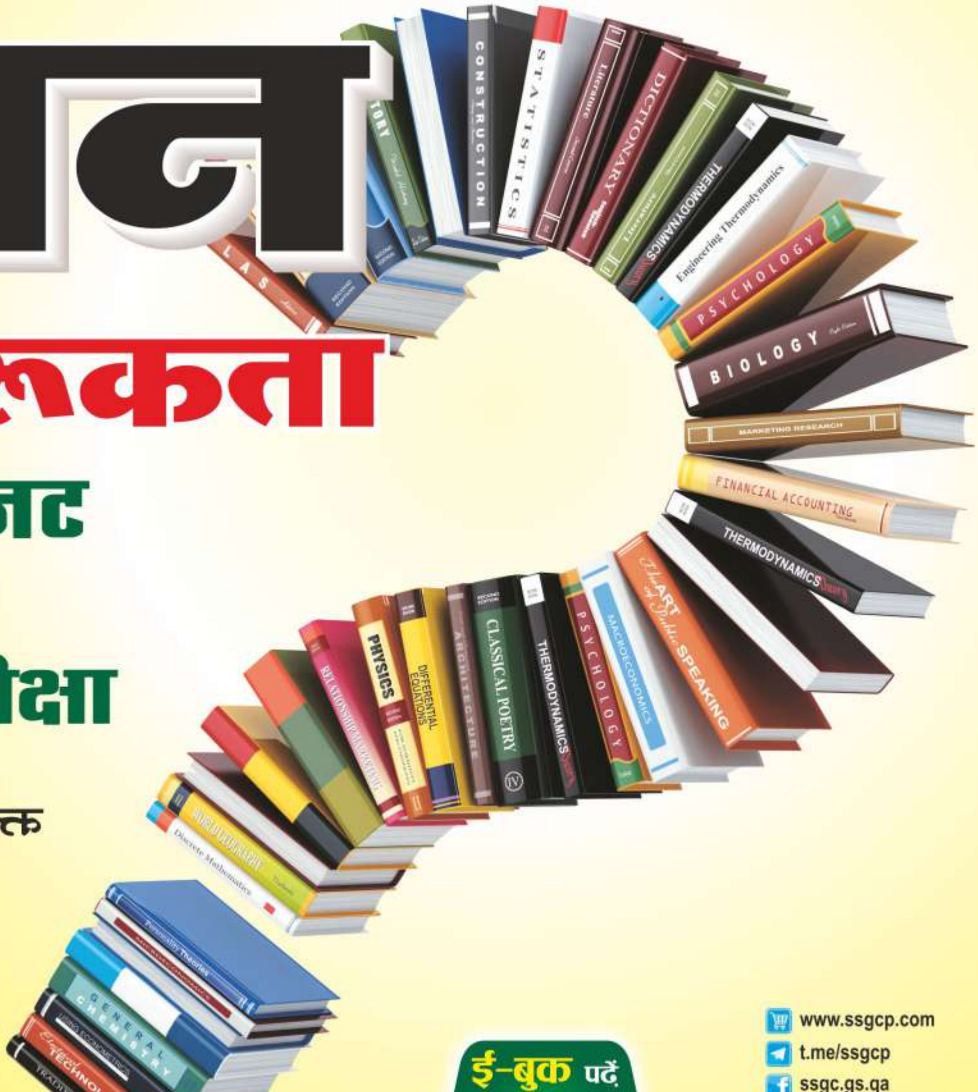

केन्द्रीय बजट

(2023-24)

एवं

आर्थिक समीक्षा

(2022-23)

के आंकड़ों से युक्त

CASH BACK ₹50

Validity upto February, 2024

See Cover Page - 2

ई-बुक पढ़ें अपडेटेड रहें

देखें पृष्ठ - 1

www.ssgcp.com
t.me/ssgcp
ssgc.gs.qa
ssghatnachakra
SamsamyikGhatna

© प्रकाशकाधीन :
संस्करण - पंचम्
संस्करण वर्ष- 2023
ले.- SSGC
मूल्य : 290/-
मुद्रक- कोर पब्लिशिंग सोल्यूशन
ISBN : 978-93-95943-33-8
मुद्रण क्रम - प्रथम

संपर्क-
सम-सामयिक घटना चक्र
188A/128 एलनगंज, चर्चलेन
प्रयागराज (इलाहाबाद) - 211002
Ph.: 0532-2465524, 2465525
Mob.: 9335140296
e-mail : ssgcald@yahoo.co.in
Website : ssgcp.com
e-shop Website : shop.ssgcp.com

■ इस प्रकाशन के किसी भी अंश का पुनः प्रस्तुतीकरण या किसी भी रूप में प्रतिलिपिकरण (फोटोप्रति या किसी भी माध्यम में ग्राफिक्स के रूप में संग्रहण, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिकीकरण द्वारा जहां कहीं या अस्थायी रूप से या किसी अन्य प्रकार के प्रसंगवश इस प्रकाशन का उपयोग भी) कॉपीराइट के स्वामित्व धारक के लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है।

किसी भी प्रकार से इसके भंग होने या अनुमति न लेने की स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

*इस प्रकाशन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज (इलाहाबाद) के न्यायालय न्यायाधिकरण के अधीन होगा।

संकलन सहयोग-

- **डॉ. राजन गुप्ता**
- **उमेश प्रताप सिंह**
- **ललिन्द्र कुमार**
- **भूपेन्द्र प्रताप राव**
- **आलोक कुमार पाण्डेय**
- **विवेक कुमार त्रिपाठी**
- **धर्मेन्द्र कुमार मिश्र**
- **शशि चन्द्र उपाध्याय**
- **पीयूष तिवारी**
- **दिग्विजय पाण्डेय**
- **फैज़ुल इस्लाम अंसारी**
- **मोहम्मद ताहिर**

समारंभ

'सामान्य ज्ञान' हासिल करने का अर्थ है विस्तृत विषय क्षेत्रों के साधारण जानकारियों से अवगत होना, जबकि **'सामान्य ज्ञान जागरूकता'** का अर्थ है किसी ज्ञान के अद्यतन संदर्भों के कारण होने वाले बदलाव से भी अवगत होना। इसमें हम उस ज्ञान को भी जोड़ सकते हैं, जो सम्यक स्रोतों तक पहुंचने के पश्चात तथ्यों में बदलाव से हमें अवगत कराता है।

उदाहरण के लिए वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। तेलंगाना के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या 29 तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 7 हो गयी थी, परंतु जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के लागू होने के उपरांत भारत में राज्यों की संख्या 28 तथा केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गयी। तदुपरांत दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव अधिनियम, 2019 के तहत दो केंद्रशासित प्रदेशों यथा 1. दादरा और नागर हवेली तथा 2. दमन और दीव का आपस में विलय हो जाने के उपरांत केंद्रशासित प्रदशों की संख्या पुनः घटकर 8 हो गयी। भारत में राज्यों की संख्या एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या के संदर्भ में इस नवीन तथ्य से अवगत रहना ही सामान्य ज्ञान की जागरूकता है।

इसी प्रकार सिक्किम राज्य की स्थापना की तिथि ढेरों पुस्तकों में 26 अप्रैल, 1975 दर्शायी गयी है, जबकि सिक्किम राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर इसे 16 मई, 1975 बताया गया है। सही तथ्य तक पहुंचने के लिए सम्यक स्रोत तक पहुंचकर जानकारी हासिल करना भी सामान्य ज्ञान की जागरूकता का ही हिस्सा है। सामान्य ज्ञान की प्रस्तुत पुस्तक में हमने यही कोशिश की है कि प्रत्येक तथ्य के अद्यतन संदर्भों से अवगत रहा जाए और जानकारी के लिए सम्यक आधिकारिक स्रोतों तक पहुंचा जाए।

यह काम हम पुस्तक प्रकाशन की तिथि तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं। आपकी प्रिय पुस्तक छपकर जब आपके हाथ में रहेगी, तब भी हम आपके लिए यह काम करते रहेंगे। प्राप्त सभी जानकारी हम अपनी वेबसाइट और फेस बुक पेज के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको बस इतना जागरूक रहना है कि परिवर्तित जानकारियों को अपनी पुस्तक के संबंधित पृष्ठों पर अंकित करते रहें और अद्यतन रहने के आत्मविश्वास से परिपूरित रहें।

GK^A पुस्तक से आपने कितना ज्ञान आत्मसात किया, इसके लिए **KYB (KNOW YOUR BOOK)** की भी व्यवस्था की गयी है। विस्तृत जानकारी के लिए आवरण पृष्ठ-4 देखें।

अनुक्रमणिका

भारतीय राजव्यवस्था **5-38**

1. भारत का संवैधानिक विकास, 2. संविधान के स्रोत, 3. संविधान के प्रमुख भाग, 4. संविधान में अनुच्छेद, 5. अनुसूची, 6. संविधान की प्रस्तावना, 7. भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र, 8. नागरिकता, 9. मौलिक अधिकार, 10. राज्य के नीति-निदेशक तत्व, 11. मौलिक कर्तव्य, 12. संघीय कार्यपालिका, 13. उच्चतम न्यायालय, 14. उच्च न्यायालय, 15. महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता, 16. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 17. राज्य की कार्यपालिका, 18. राज्य विधायिका, 19. भारत के राष्ट्रीय चिह्न, 20. पंचायती राज, 21. नगरपालिकाएं, 22. केंद्र-राज्य संबंध, 23. नीति आयोग, 24. राष्ट्रीय विकास परिषद, 25. वित्त आयोग, 26. लोक सेवा आयोग, 27. निर्वाचन आयोग, 28. अस्थायी विशेष उपबंध, 29. प्रमुख संशोधन

भारत का इतिहास **39-110**

A. प्राचीन भारत का इतिहास : 1. प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, 2. इतिहास का विभाजन, 3. ताम्र पाषाण काल, 4. वैदिक सभ्यता, 5. छठीं शताब्दी ई.पू. में धार्मिक आंदोलन, 6. मगध राज्य का उत्कर्ष, 7. भारत में विदेशी आक्रमण, 8. गुप्त साम्राज्य, 9. वाकाटक राजवंश, 10. वर्धन वंश, 11. दक्षिण भारत का इतिहास, 12. पूर्व-मध्यकाल, 13. सीमावर्ती राज्य

B. मध्यकालीन भारत का इतिहास : 1. अरबों का आक्रमण, 2. सल्तनत काल, 3. खिलजी वंश, 4. तुगलक वंश, 5. सैय्यद वंश, 6. लोदी वंश, 7. दिल्ली सल्तनत-शासन व्यवस्था, 8. विजयनगर साम्राज्य, 9. बहमनी राज्य, 10. स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, 11. भक्ति आंदोलन, 12. मुगल साम्राज्य, 13. मुगल शासन व्यवस्था, 14. मराठों का उत्कर्ष

C. आधुनिक भारत का इतिहास : 1. मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, 2. यूरोपीय कंपनियों का आगमन, 3. बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय, 4. पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य और आंग्ल मराठा संघर्ष, 5. सिख एवं अंग्रेज संबंध, 6. 1857 की क्रांति, 7. धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन, 8. भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, 9. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं, 10. ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, 11. महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएं एवं पूस्तकें, 12. ब्रिटिश कालीन आयोग/समितियां, 13. कांग्रेस अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य, 14. भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य, 15. भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, 16. भारत के गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य, 17. वर्ष 1947 से 1964 तक का इतिहास, 18. अन्य प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य

D. विश्व का इतिहास **110-114**

1. पुनर्जागरण, 2. अमेरिकी क्रांति अथवा स्वतंत्रता संग्राम, 3. फ्रांस की क्रांति, 4. इटली का एकीकरण, 5. जर्मनी का एकीकरण, 6. रूसी क्रांति, 7. औद्योगिक क्रांति, 8. प्रथम विश्व युद्ध, 9. जर्मनी में राष्ट्रवाद, नाजीवाद, 10. इटली में फासिज्म का उदय, 11. जापानी साम्राज्यवाद, 12. द्वितीय विश्वयुद्ध, 13. तुर्की, 14. विविध तथ्य

भूगोल **115-177**

A. विश्व का भूगोल : 1. ब्रह्मांड, 2. सौरमंडल, 3. पृथ्वी की आंतरिक संरचना, 4. स्थलमंडल, 5. महाद्वीप और प्रमुख प्रायद्वीप, 6. वायुमंडल, 7. जलमंडल

B. भारत का भूगोल : 1. सामान्य परिचय, 2. भारत एवं पड़ोसी देश, 3. भारत का भौतिक स्वरूप, 4. अपवाह तंत्र, 5. भारत की प्रमुख झीलें और जलप्रपात, 6. भारत की जलवायु, 7. भारत की मिट्टी, 8. भारत की कृषि, 9. सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, 10. भारतीय खनिज संसाधन, 11. भारत के परिवहन, 12. भारत के उद्योग, 13. भारत के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, 14. भारत की जनजातियां, 15. भारत और अंटार्कटिका, 16. भारत की जनगणना

सामान्य विज्ञान **178-289**

A. भौतिक विज्ञान : 1. मात्रक, 2. भौतिक राशियों की विमाएं, 3. गति एवं बल, 4. कार्य, सामर्थ्य एवं ऊर्जा, 5. गुरुत्वाकर्षण, 6. सरल आवर्त गति, 7. प्लवन, 8. पृष्ठ तनाव, 9. श्यानता, 10. दाब, 11. प्रत्यास्थता, 12. तरंग गति, 13. ध्वनि, 14. ऊष्मा, 15. प्रकाश, 16. स्थिर विद्युत, 17. विद्युत धारा, 18. चुंबकत्व, 19. नाभिकीय भौतिकी

B. रसायन विज्ञान : 1. पदार्थ की कणिक प्रकृति, 2. परमाणु संरचना, 3. तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, 4. रासायनिक बंध, 5. ऑक्सीकरण-अपचयन अथवा अपचयोपचय अभिक्रियाएं, 6. अम्ल तथा क्षार, 7. गैसीय अवस्था अथवा गैसों का आचरण, 8. हाइड्रोजन तथा उसके यौगिक, 9. जल की कठोरता, 10. S-ब्लॉक के तत्व, 11. बोरॉन एवं कार्बन, 12. वर्ग-15, 16, 17 एवं 18 के तत्व, 13. कुछ प्रमुख अधातुएं एवं इनके प्रयोग, 14. कुछ प्रमुख धातुएं तथा इनके प्रयोग, 15. तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, 16. बहुलक, 17. रसायन विज्ञान : विशेष तथ्य, 18. सामान्य रसायन, 19. हाइड्रोकार्बन, 20. कृत्रिम पदार्थ, 21. ईंधन

C. जीव विज्ञान : 1. जीवधारियों का वर्गीकरण, 2. कोशिका विज्ञान, 3. जैव विकास, 4. आनुवांशिकी; **C1 वनस्पति विज्ञान :** 5. पादप, 6. पारिस्थितिक तंत्र, 7. प्रदूषण; **C2 प्राणि विज्ञान :** 8. जंतु जगत का वर्गीकरण, 9. मानव शरीर, 10. पोषक तत्व, 11. मानव रोग एवं उपचार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **290-302**

कंप्यूटर **303-309**

अर्थशास्त्र एवं भारतीय अर्थव्यवस्था **310-355**

1. अर्थशास्त्र, 2. अर्थव्यवस्था

खेल खिलाड़ी **356-380**

1. ओलंपिक खेल, 2. राष्ट्रमंडल खेल, 3. एशियाई खेल, 4. क्रिकेट, 5. हॉकी, 6. फुटबॉल, 7. बैडमिंटन, 8. टेनिस, 9. शतरंज, 10. एथलेटिक्स, 11. टेबल टेनिस, 12. बास्केटबॉल, 13. पोलो, 14. गोल्फ, 15. बेसबॉल, 16. बिलियर्ड्स, 17. स्नूकर, 18. कुश्ती, 19. वॉटर पोलो, 20. तैराकी, 21. मुक्केबाजी, 22. निशानेबाजी, 23. वालीबॉल, 24. कबड्डी, 25. खो-खो, 26. हैंडबॉल, 27. खेलों से संबंधित पुरस्कार

विविध **381-416**

1. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, 2. भारत के पर्यटन स्थल, 3. भारतीय सुरक्षा व्यवस्था, 4. भारतीय आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, 5. अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, 6. राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, 7. अंतरराष्ट्रीय संगठन, 8. विश्व के प्रमुख संगठन

GKA क्यों?

General Knowledge Awareness

सामान्यत: GK की पुस्तक प्रकाशित करते समय विभिन्न प्रकाशक प्रकाशित तथ्यों के प्रति जागरूक (Aware) नहीं रहते हैं और गलत तथ्यों को प्रकाशित कर बैठते हैं, देखें कुछ उदाहरण–

तथ्य	त्रुटिपूर्ण तथ्य	सही तथ्य
भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील	चोलामू झील	गुरु डोंगमर
वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग	NH-44	NH-27EW
वर्तमान में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग	NH-47A	NH-327B
सिक्किम राज्य का गठन	26 अप्रैल, 1975	16 मई, 1975
फारवर्ड ब्लाक का गठन	1 मई, 1939	3 मई, 1939
विश्व भारती की स्थापना	1912 ई.	1921 ई.
वेलूर मठ की स्थापना	1887 ई.	1897 ई.
टॉलमी द्वारा दूसरी शताब्दी में लिखी गयी पुस्तक	भारत का भूगोल	ज्योग्राफी
पुष्यमित्र ने भरहुत स्तूप का	निर्माण करवाया था	पुनरुद्धार करवाया था
लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था	मुहम्मदशाह द्वारा	महमूद शाह की पत्नी वी.वी. राजे द्वारा
कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था	1609 ई.	1608 ई.
भील विद्रोह के नेता	सेवा राम 1825-31 ई.	त्र्यम्बक जी 1818-31ई.
कोल आंदोलन के नेता	गोमधर कुंवर	बुद्धू भगत
शारदा एक्ट लागू किया गया	1930 ई.	1929 ई.
वेद समाज के संस्थापक	केशवचंद्र सेन	के. श्री धरलू नायडू केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से
वीमेन्स इंडिया एसोसिएशन की संस्थापक	लेडी सदाशिव अय्यर	एनी बेसेंट
अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत	लॉर्ड आकलैंड	अलेक्जेंडर डफ
चौरी-चौरा कांड	5 फरवरी, 1922	4 फरवरी, 1922

तथ्य	त्रुटिपूर्ण तथ्य	सही तथ्य
छः प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है।	अनुच्छेद 19 (क से च)	अनुच्छेद 19 (1) क से छ (भारत का संविधान)
प्रेस की स्वतंत्रता निहित है।	अनुच्छेद 19 (क)	अनुच्छेद 19 (1) क
एशिया का सर्वाधिक टिन उत्पादक देश	मलेशिया	चीन
संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्रफल	470131 वर्ग किमी.	9833517 वर्ग किमी.
चीन का क्षेत्रफल	137060 वर्ग किमी.	9596960 वर्ग किमी.
मिसीसिपी नदी का उद्गम स्थल	रेड रॉक स्रोत	इटास्का झील
ओटावा (कनाडा) शहर नदी के किनारे स्थित है	सेंट लारेंस नदी	ओटावा नदी
पेरियार नदी का उद्गम स्थल है	पेरियार झील	शिवगिरि चोटी के वन क्षेत्र से
लखीपुर-भंगा राष्ट्रीय जलमार्ग का क्रमांक है	N.W.-6	N.W.-16
धार का किला	मोहम्मद तुगलक द्वारा निर्माण	राजा भोज प्रथम द्वारा निर्माण
गोलकुंडा का किला	कुतुबशाही	वारंगल के राजा द्वारा 1143 ई. में मिट्टी का किला, कुली कुतुबशाह ने इसे पत्थर का बनवाया
एलोरा की गुफाएं	बौद्धों द्वारा निर्माण	राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्माण
गेटवे ऑफ इंडिया	जॉर्ज विट्ठल क्लार्क	जॉर्ज विटेट (वास्तुकार)
जंतर-मंतर व नाहरगढ़	सवाई जय सिंह द्वारा निर्माण	सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा निर्माण
भारत में सबसे ऊंची मीनार	कुतुबमीनार (दिल्ली)	फतेहबुर्ज (पंजाब)
भारत में सबसे बड़ी मस्जिद	जामा मस्जिद (दिल्ली)	ताज-उल-मस्जिद (भोपाल)

ये कुछ तथ्य हैं, ऐसे बहुत से तथ्य हैं, जो लगातार प्रकाशित हो रहे हैं और परीक्षार्थी उन्हीं तथ्यों को अपनी स्मृति में भंडारण कर रहे हैं। GK की प्रस्तुत पुस्तक में हमने सभी तथ्यों के प्रति जागरूक रहते हुए अद्यतन और सही तथ्यों का प्रकाशन किया है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम GK नहीं बल्कि GKA रखा है। आगे भी हम इस पुस्तक में प्रकाशित तथ्यों की अद्यतन स्थिति से आपको अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट ssgcp.com या facebook page. fb.me/gkaupdate पर लॉगइन कर सकते हैं। पुस्तक में प्रकाशित किसी तथ्य के प्रति शंका/संदेह हो, तो आप आवरण पृष्ठ 3 पर प्रकाशित संपर्क माध्यमों द्वारा हमसे नि:संकोच संपर्क कर सकते हैं।

नोट : पाठकों/प्रकाशकों से अनुरोध है कि अपनी पूर्व मे खरीदी गयी / प्रकाशित की गयी पुस्तक में इन तथ्यों को ठीक कर लें। इतना ही नहीं नित परिवर्तित होते जा रहे तथ्यों के प्रति भी निरंतर जागरूक रहना होगा।

भारतीय राजव्यवस्था
(Indian Polity)

शामिल विषय (Topic)

● भारत का संवैधानिक विकास ● संविधान के स्रोत ● संविधान के प्रमुख भाग ● संविधान में अनुच्छेद अनुसूची ● संविधान की प्रस्तावना ● भारत संघ और उसके राज्यक्षेत्र ● नागरिकता ● मौलिक अधिकार ● राज्य के नीति-निदेशक तत्व ● मौलिक कर्तव्य ● संघीय कार्यपालिका ● उच्चतम न्यायालय ● उच्च न्यायालय ● महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता ● नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ● राज्य की कार्यपालिका ● राज्य विधायिका ● भारत के राष्ट्रीय चिह्न ● पंचायती राज ● नगर पालिकाएं ● केंद्र-राज्य संबंध ● नीति आयोग ● राष्ट्रीय विकास परिषद ● वित्त आयोग ● लोक सेवा आयोग ● निर्वाचन आयोग ● अस्थायी विशेष उपबंध ● प्रमुख संशोधन।

1 भारत का संवैधानिक विकास

संविधान, नियमों अथवा कानूनों का वह संग्रह है, जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी अपना एक संविधान है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है-

ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम (1773-1853)
- रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773
- पिट्स इंडिया एक्ट, 1784
- चार्टर एक्ट, 1793
- चार्टर एक्ट, 1813
- चार्टर एक्ट, 1833
- चार्टर एक्ट, 1853

ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम (1858-1947)
- 1858 का भारत शासन अधिनियम
- 1861 का भारत परिषद अधिनियम
- 1892 का भारत परिषद अधिनियम
- 1909 का भारत परिषद अधिनियम
- 1919 का भारत शासन अधिनियम
- 1935 का भारत शासन अधिनियम
- 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

➢ इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया।

➢ इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को 'बंगाल का गवर्नर जनरल' पद नाम दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया।

➢ इस व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए।

➢ इस व्यवस्था के तहत मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।

➢ 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ई. में बंगाल (कलकत्ता) में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा तीन अन्य न्यायाधीश थे।

> **नोट** - इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे, जबकि तीन अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर्स, लिमेंस्टर तथा हाइड थे।

➢ इस व्यवस्था के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया।

➢ इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारत की राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्त सूचनाएं ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया।

> **एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781**
> रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा (ओडिशा) के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया।

1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

➢ इसके तहत भारत में कंपनी के कार्यों एवं प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ।

➢ इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक-दूसरे से अलग कर दिया गया।

➢ भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार 'ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र' कहा गया।

➢ इस एक्ट के तहत भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 ई. तक विद्यमान रही।

➢ कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों की देख-रेख के लिए निदेशक मंडल (Board of Directors) को अनुमति दी गई।

➢ परंतु राजनीतिक मामलों के लिए एक 'नियंत्रण बोर्ड' (Board of Control) का गठन किया गया।

1786 का अधिनियम

- इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया।
- गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गईं। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम 'लॉर्ड कॉर्नवालिस' ने प्राप्त किए।

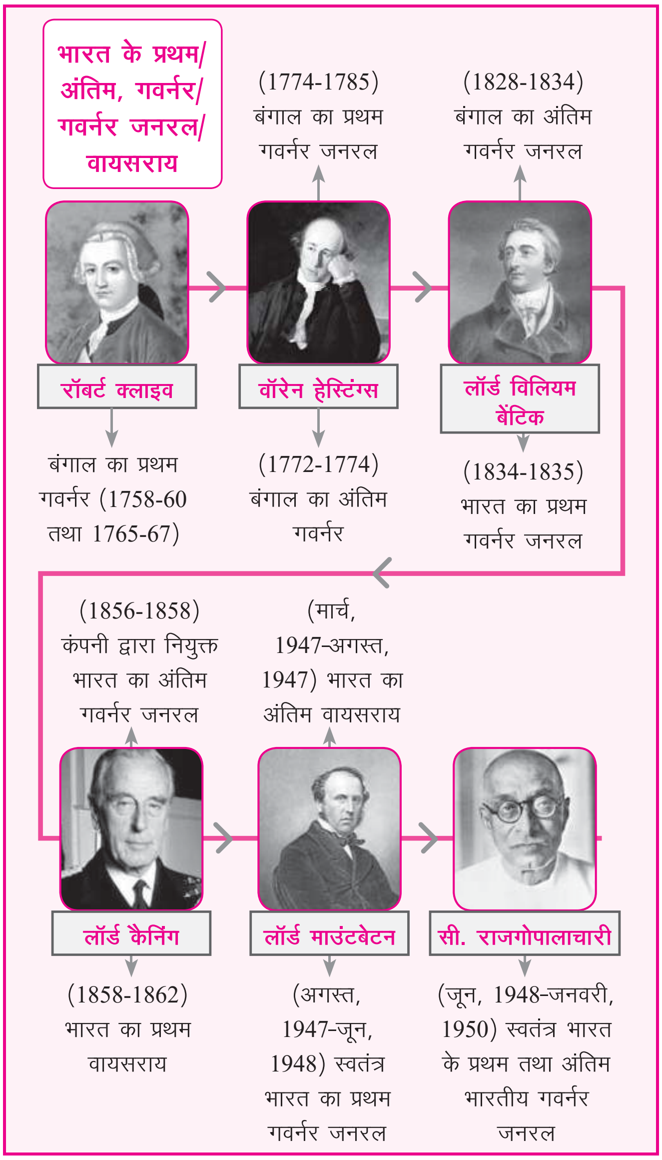

चार्टर एक्ट, 1793

- इस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

1813 का चार्टर एक्ट

- इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।
- हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा।
- इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए एक लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च करने की व्यवस्था की गई।

1833 का चार्टर एक्ट

- इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
- इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनैतिक कार्य ही करने थे।
- गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य (चौथा सदस्य) को (सर्वप्रथम मैकाले) शामिल किया गया।
- इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था।
- इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया।
- इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार, कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था।
- 1833 के चार्टर एक्ट के तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ई. में इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया।

1853 का चार्टर एक्ट

- इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने की व्यवस्था की गई।
- विधि निर्माण हेतु, इस व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई।
- 1853 के चार्टर एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया।

1858 का भारत शासन अधिनियम

- 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया।
- इस अधिनियम को 'एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया' के नाम से भी जाना जाता है।
- इस अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत के शासन को ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया।
- 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया।
- भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा, जो कि भारत में ब्रिटिश क्राउन (ताज) का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था।
- लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना।
- 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 'भारत के राज्य सचिव' पद का सृजन किया गया।
- जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी।

1861 का भारत परिषद अधिनियम

- इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई।

> **नोट** - 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा तीन भारतीयों (बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव) को विधान परिषद में मनोनीत किया गया।

- वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी।

- इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त हो गया।
- वायसराय को प्रांतों में विधान परिषदों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई।

> **नोट** - 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत तथा 1897 में पंजाब विधान परिषदों का गठन किया गया।

1892 का भारत परिषद अधिनियम

- इसके द्वारा एक सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई।
- केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया।
- परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था।
- सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना, इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी।

1909 का भारत परिषद अधिनियम

- इसे मॉर्ले-मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो तत्कालीन वायसराय तथा जॉन मॉर्ले राज्य-सचिव थे।
- इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया।
- पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद से जोड़ने का प्रावधान किया गया।

> **नोट** - सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

- इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया।
- परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया।
- इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई।
- इसने सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप प्रदान किया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है।

1919 का भारत शासन अधिनियम

- इसे मॉण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है।
- इस समय मॉण्टेग्यू भारत का राज्य-सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था।
- प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई।
- द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनेल कर्टिस था।
- प्रांतीय विषयों को दो भागों यथा- हस्तांतरित और आरक्षित में बांटा गया।
- हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर, उन मंत्रियों की सहायता से करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था।
- इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्वि-सदनीय व्यवस्था स्थापित की गई।
- इस अधिनियम के तहत पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। भूमि, कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया।
- सांप्रदायिक आधार पर सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल - भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन के सिद्धांत को लागू कर दिया गया।
- इस अधिनियम में पहली बार 'उत्तरदायी शासन' शब्द का प्रयोग किया गया।
- इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था।

> **नोट** - वर्ष 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।

- इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।

1935 का भारत शासन अधिनियम

- यह एक विस्तृत दस्तावेज था, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें प्रस्तावना का अभाव था।
- इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था।
- हालांकि यह व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई।
- कुछ प्रांतों में द्वि-सदनात्मक व्यवस्था की गई थी।
- कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 6 प्रांतों - बंबई, मद्रास, बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना हुई।
- इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
- इसने भारत शासन अधिनियम, 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा (ओडिशा) का निर्माण हुआ।
- इसी अधिनियम के तहत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई।
- 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया।
- इस अधिनियम के तहत एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ - साथ प्रांतीय सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था।

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम

- इसने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर, अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों (Dominion States) भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना की।
- इसने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ने 15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया।

- इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शाही उपाधि से 'भारत का सम्राट' शब्द समाप्त कर दिया गया।
- भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं।
- प्रत्येक अधिराज्य द्वारा अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम, 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई।

संविधान का निर्माण

- भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई, 1934 में रांची में 'स्वराज पार्टी' ने की थी।
- वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एम.एन. राय ने दिया।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार (स्वराज पार्टी के बाद) पटना में मई, 1934 में ही संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई।
- जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई।
- एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था।
- वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत 'भारतीय संविधान सभा' के गठन का प्रस्ताव किया गया था।
- कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार, संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था।
- इसके तहत मोटे तौर पर प्रति दस लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी।
- कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी।
- इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थीं।
- ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था।
- देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था।
- प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण तीन समुदायों - मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित कर किया गया था।
- संविधान सभा मुख्यत: अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी।
- प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया।
- यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था।
- 1935 के अधिनियम के अनुसार, मताधिकार कर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था।
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी।
- इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार करते हुए अलग पाकिस्तान और अलग संविधान सभा की मांग की।
- अत: पहली बैठक में केवल 207 सदस्य (जिनमें 9 महिलाएं थीं) ही उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस के सदस्य थे।
- देशी रियासत हैदराबाद ने संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया।
- सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम बैठक का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
- 11 दिसंबर, 1946 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
- 13 दिसंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया, जिसे 22 जनवरी, 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
- संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया था।

संविधान सभा की प्रमुख समितियां व उनके अध्यक्ष

समितियां	अध्यक्ष
संघ शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
प्रांतीय संविधान समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
प्रारूप समिति	भीमराव अंबेडकर
मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति	सरदार वल्लभभाई पटेल
(i) मौलिक अधिकार उप-समिति	जे.बी. कृपलानी
(ii) अल्पसंख्यक उप-समिति	एच.सी. मुखर्जी
प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति	राजेंद्र प्रसाद
राज्यों के लिए समिति	जवाहरलाल नेहरू
संचालन (Steering) समिति	राजेंद्र प्रसाद
तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति	राजेंद्र प्रसाद
कार्य संचालन (Order of Business) संबंधी समिति	के.एम. मुंशी

- 29 अगस्त, 1947 को एक संकल्प पारित करके 'प्रारूप समिति' का गठन किया गया।
- इस समिति का अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर को चुना गया।
- प्रारूप समिति का कार्य, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार - विमर्श करना था।
- प्रारूप समिति ने 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

प्रारूप समिति - कुल सदस्य - 7

अध्यक्ष -	1.	डॉ. भीमराव अंबेडकर
सदस्य -	2.	एन. गोपालास्वामी आयंगर
	3.	अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर
	4.	डॉ. के.एम. मुंशी
	5.	सैय्यद मो. सादुल्ला
	6.	एन. माधव राव (इन्होंने बी.एल. मित्र का स्थान लिया, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग-पत्र दे दिया था)
	7.	टी.टी. कृष्णामाचारी (1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली)

✍ **नोट** - संविधान सभा का प्रथम वाचन 4-9 नवंबर, 1948 तक, दूसरा वाचन 15 नवंबर, 1948 से 17 अक्टूबर, 1949 तक और तीसरा वाचन 17-26 नवंबर, 1949 तक चला।

➢ भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक कुल 11 अधिवेशन (कुल अवधि 165 दिन) हुए थे, जिनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था।

➢ 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था।

➢ संविधान के कुल 16 अनुच्छेदों को 26 नवंबर, 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि शेष को 26 जनवरी, 1950 को लागू किया गया।

➢ संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी।

✍ **नोट** - संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला राय, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, जी. दुर्गाबाई, दक्षयानि वेलायुधन और ऐनी मैस्करीन थीं।

➢ 24 जनवरी, 1950 को डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया।

➢ संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया।

➢ संविधान सभा द्वारा मई, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया।

संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य

पहली बैठक	9 दिसंबर, 1946
अस्थायी अध्यक्ष	डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा
स्थायी अध्यक्ष	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
उपाध्यक्ष	एच.सी. मुखर्जी
संवैधानिक सलाहकार	सर बी.एन. राव
संविधान निर्माण में लगा समय	2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन
प्रारूप पर बहस	114 दिन
कुल व्यय	63,96,729 रुपये
कुल वाचन	तीन
संविधान अपनाया गया	26 नवंबर, 1949
संविधान लागू हुआ	26 जनवरी, 1950

➢ कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया।

➢ 2 सितंबर, 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए, हालांकि उनके शामिल होने का विकल्प खुला रखा गया था।

➢ अंततः 26 अक्टूबर, 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के पांच प्रतिनिधियों (लियाकत अली, जोगेंद्र नाथ मंडल, आई.आई. चुंदरीगर, अब्दुर-रब-नश्तर और गजनफर अली खां) को कैबिनेट में शामिल किया गया।

अंतरिम मंत्रिमंडल (1946)

मंत्री	मंत्रालय
1. जवाहरलाल नेहरू	उपाध्यक्ष, विदेश व राष्ट्रमंडल संबंधी मामले
2. सरदार वल्लभभाई पटेल	सूचना एवं प्रसारण तथा गृह
3. सी. राजगोपालाचारी	शिक्षा
4. लियाकत अली	वित्त
5. जोगेंद्र नाथ मंडल	विधि
6. आसफ अली	रेल
7. डॉ. राजेंद्र प्रसाद	खाद्य एवं कृषि
8. डॉ. सी.एच. भाभा	कार्य, खनन एवं शक्ति
9. बलदेव सिंह	रक्षा
10. आई.आई. चुंदरीगर	वाणिज्य
11. अब्दुर - रब - नश्तर	संचार, डाक एवं वायु
12. गजनफर अली खां	स्वास्थ्य
13. जगजीवन राम	श्रम

✍ **नोट** - रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा जम्मू और कश्मीर रियासत को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में शामिल किया गया।

2 संविधान के स्रोत

भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारतीय शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है। इसके अलावा कई अन्य देशों से भी संविधान निर्माण में सहायता ली गई है, जिनका विवरण इस प्रकार है -

➢ **ब्रिटेन :** संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली एवं विधि का शासन आदि।

➢ **सं.रा. अमेरिका :** मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का हटाया जाना आदि।

➢ **कनाडा :** केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि।

➢ **आयरलैंड :** नीति-निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में मनोनीत सदस्य आदि।

➢ **ऑस्ट्रेलिया :** संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, समवर्ती सूची की व्यवस्था तथा व्यापार-वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता।

➢ **जर्मनी :** आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन आदि।

➢ **सोवियत संघ :** मूल कर्तव्य तथा न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) के आदर्श को।

➢ **दक्षिण अफ्रीका :** संविधान संशोधन प्रक्रिया, राज्य सभा सदस्यों का निर्वाचन आदि।

➢ **जापान :** विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।

➢ **फ्रांस :** स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा।

3 संविधान के प्रमुख भाग

भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है, जबकि वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं –

भारतीय संविधान	
भाग विषय	**अनुच्छेद**
♦ भाग 1 : संघ और उसका राज्य क्षेत्र	1 - 4
♦ भाग 2 : नागरिकता	5 - 11
♦ भाग 3 : मूल अधिकार	12 - 35
♦ भाग 4 : राज्य के नीति-निदेशक तत्व	36 - 51
♦ भाग 4 क : मूल कर्तव्य	51क
♦ भाग 5 : संघ अध्याय I - कार्यपालिका अध्याय II - संसद अध्याय III - राष्ट्रपति के विधायी अधिकार अध्याय IV - संघीय न्यायपालिका अध्याय V - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	52 - 151
♦ भाग 6 : राज्य अध्याय I - सामान्य अध्याय II - कार्यपालिका अध्याय III - राज्य विधानमंडल अध्याय IV - राज्यपाल के विधायी अधिकार अध्याय V - राज्यों के उच्च न्यायालय अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायालय	152 - 237
♦ भाग 7 : प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य (निरसित)	238
♦ भाग 8 : संघ राज्यक्षेत्र	239 - 242
♦ भाग 9 : पंचायतें	243 - 243ण
♦ भाग 9क : नगरपालिकाएं	243त - 243 य छ
♦ भाग 9ख : सहकारी समितियां	243(य ज) - 243(य न)
♦ भाग 10 : अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र	244 - 244क
♦ भाग 11 : संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय I - विधायी संबंध अध्याय II - प्रशासनिक संबंध	245 - 263
♦ भाग 12 : वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अध्याय I - वित्त अध्याय II - उधार अध्याय III - संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयताएं, बाध्यताएं और वाद अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार	264 - 300क
♦ भाग 13 : भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम	301 - 307
♦ भाग 14 : संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अध्याय I - सेवाएं अध्याय II - लोक सेवा आयोग	308 - 323
♦ भाग 14 क : अधिकरण	323क - 323 ख
♦ भाग 15 : निर्वाचन	324 - 329 क
♦ भाग 16 : कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध	330 - 342 क
♦ भाग 17 : राजभाषा अध्याय I - संघ की भाषा अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएं अध्याय III - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा अध्याय IV - विशेष निर्देश	343 - 351
♦ भाग 18 : आपात उपबंध	352 - 360
♦ भाग 19 : प्रकीर्ण	361 - 367
♦ भाग 20 : संविधान का संशोधन	368
♦ भाग 21 : अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध	369-392
♦ भाग 22 : संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन	393 - 395

4 संविधान में अनुच्छेद

भारतीय संविधान में वर्तमान में (26 नवंबर, 2021 तक की स्थिति के अनुसार) गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद (Article) हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं। सभी अतिरिक्त अनुच्छदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है।

प्रमुख अनुच्छेद : एक दृष्टि में	
अनुच्छेद - 1	संघ का नाम और राज्यक्षेत्र।
अनुच्छेद - 2	नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
अनुच्छेद - 3	नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद - 5	संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता।
अनुच्छेद - 14	**'विधि के समक्ष समानता'** का अधिकार।
अनुच्छेद - 15	**धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान** के आधार पर विभेद का प्रतिषेध।
अनुच्छेद - 16	लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता।
अनुच्छेद - 17	अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद - 18	उपाधियों का अंत।
अनुच्छेद - 19	वाक्-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण।
अनुच्छेद - 20	अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अनुच्छेद - 21	प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
अनुच्छेद-21क	**6 से 14 वर्ष तक** की आयु के सभी बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद - 22	कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
अनुच्छेद - 23	मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध।
अनुच्छेद - 24	कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।

अनुच्छेद - 25	अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद - 29	अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण।
अनुच्छेद - 32	संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अनुच्छेद - 39	राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व।
अनुच्छेद - 39क	समान न्याय तथा नि:शुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद - 40	**ग्राम पंचायत की स्थापना** का प्रावधान।
अनुच्छेद - 41	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद - 43 ख	सहकारी समितियों का संवर्धन।
अनुच्छेद - 44	नागरिकों के लिए **एक समान सिविल संहिता** (Uniform Civil Code) का प्रावधान।
अनुच्छेद - 45	6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान।
अनुच्छेद-48क	पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा।
अनुच्छेद - 50	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
अनुच्छेद - 51	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
अनुच्छेद-51क	**मूल कर्तव्य**।
अनुच्छेद - 52	भारत का राष्ट्रपति।
अनुच्छेद - 55	राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति।
अनुच्छेद - 57	**पुनर्निर्वाचन** के लिए पात्रता।
अनुच्छेद - 58	राष्ट्रपति पद की योग्यता।
अनुच्छेद - 60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद - 61	राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया।
अनुच्छेद - 66	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद - 70	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन।
अनुच्छेद - 72	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 73	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
अनुच्छेद - 74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद - 75(1)	प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा।
अनुच्छेद - 76	भारत का महान्यायवादी।
अनुच्छेद - 79	संसद के गठन का प्रावधान।
अनुच्छेद - 80	राज्य सभा की संरचना।
अनुच्छेद - 81	लोक सभा की संरचना।

अनुच्छेद - 83(1)	राज्य सभा एक स्थायी सदन।
अनुच्छेद - 84	संसद की सदस्यता के लिए अर्हता।
अनुच्छेद - 85	संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन।
अनुच्छेद-100(1)	लोक सभा अध्यक्ष द्वारा अपने **'निर्णायक मत'** का प्रयोग [पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर (Tie) होने पर]
अनुच्छेद - 108	कुछ दशाओं में **दोनों सदनों की संयुक्त बैठक**।
अनुच्छेद - 109	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया।
अनुच्छेद - 110	धन विधेयक की परिभाषा।
अनुच्छेद - 112	**वार्षिक वित्तीय विवरण**।
अनुच्छेद - 117	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद - 122	न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना।
अनुच्छेद - 123	संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 124	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन।
अनुच्छेद - 129	उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना।
अनुच्छेद - 137	उच्चतम न्यायालय की **पुनर्विलोकन (Review) की शक्ति**।
अनुच्छेद - 143	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद - 148	भारत का नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक।
अनुच्छेद - 155	राज्यपाल की नियुक्ति।
अनुच्छेद - 161	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति।
अनुच्छेद - 162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
अनुच्छेद - 164(1)	राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति।
अनुच्छेद - 165	राज्य का महाधिवक्ता।
अनुच्छेद - 169	राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन।
अनुच्छेद - 174	राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय-समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार।
अनुच्छेद - 200	राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना।
अनुच्छेद - 201	राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक।
अनुच्छेद - 213	विधानमंडल के विश्रांतिकाल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद - 214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।
अनुच्छेद - 215	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना।
अनुच्छेद - 216	उच्च न्यायालयों का गठन।

अनुच्छेद - 217	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें।
अनुच्छेद - 219	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
अनुच्छेद - 226	उच्च न्यायालय की कुछ रिटें (Writs) निकालने की शक्ति।
अनुच्छेद - 231	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना।
अनुच्छेद - 233	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद - 239	संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन।
अनुच्छेद - 239कक	दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध।
अनुच्छेद - 241	संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय।
अनुच्छेद - 243 क	ग्राम सभा।
अनुच्छेद - 243ख	पंचायतों का गठन।
अनुच्छेद - 243 ग	पंचायतों की संरचना।
अनुच्छेद - 243 घ	पंचायतों में स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद - 243झ	पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान।
अनुच्छेद - 243ट	पंचायतों के लिए निर्वाचन।
अनुच्छेद - 243 थ	नगरपालिकाओं का गठन।
अनुच्छेद - 243यक	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन।
अनुच्छेद - 243यघ	जिला योजना के लिए समिति।
अनुच्छेद - 243यझ	सहकारी समितियों का निगमन।
अनुच्छेद - 249	राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद - 253	अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान।
अनुच्छेद - 262	अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन।
अनुच्छेद - 263	अंतर-राज्य परिषद के संबंध में उपबंध।
अनुच्छेद - 266	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान।
अनुच्छेद - 267	भारत की आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)।
अनुच्छेद - 280	वित्त आयोग (Finance Commission)।
अनुच्छेद - 300 क	विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना।
अनुच्छेद - 312	अखिल भारतीय सेवाएं।
अनुच्छेद - 315	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग।
अनुच्छेद - 324	निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।
अनुच्छेद - 326	लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का **वयस्क मताधिकार** के आधार पर होना।
अनुच्छेद - 330	लोक सभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण।
अनुच्छेद - 331	लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा निष्प्रभावी)।
अनुच्छेद - 332	राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण।
अनुच्छेद - 333	राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा निष्प्रभावी)।
अनुच्छेद - 338	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
अनुच्छेद - 338क	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
अनुच्छेद - 338 ख	पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग।
अनुच्छेद - 340	पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति।
अनुच्छेद - 343	संघ की राजभाषा **'हिंदी'** और लिपि **देवनागरी** घोषित।
अनुच्छेद - 344	राजभाषा आयोग।
अनुच्छेद - 350क	प्राथमिक स्तर पर **मातृभाषा में शिक्षा** की सुविधाएं।
अनुच्छेद - 350 ख	भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी।
अनुच्छेद - 352	राष्ट्रीय आपात की घोषणा **युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह** की स्थिति में।
अनुच्छेद - 356	**राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा** में उपबंध।
अनुच्छेद - 360	**वित्तीय आपातकाल** घोषित करने का प्रावधान।
अनुच्छेद - 368	संसद की संविधान का संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया।

5 अनुसूची

- मूलतः भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी।
- वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है।

अनुसूचियां एवं उनके विषय

अनुसूची	**विषय**
पहली अनुसूची	- राज्य व संघ राज्यक्षेत्र।
दूसरी अनुसूची	- राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन।
तीसरी अनुसूची	- शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप।
चौथी अनुसूची	- राज्य सभा में स्थानों का आवंटन।
पांचवीं अनुसूची	- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध।

छठी अनुसूची	-	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध।
सातवीं अनुसूची	-	संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन।
आठवीं अनुसूची	-	भाषाएं।
नौवीं अनुसूची	-	कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण।
दसवीं अनुसूची	-	दल-परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता।
ग्यारहवीं अनुसूची	-	पंचायतों से संबंधित प्रावधान।
बारहवीं अनुसूची	-	नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध।

✍ **नोट** - नौवीं अनुसूची को संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 द्वारा, दसवीं अनुसूची को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा, ग्यारहवीं अनुसूची को 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा तथा बारहवीं अनुसूची को 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया।

➢ सातवीं अनुसूची में तीन सूचियां हैं; (i) संघ सूची, (ii) राज्य सूची तथा (iii) समवर्ती सूची।

➢ संघ सूची में कुल 97 विषयों (वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98) का उल्लेख है।

- जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ को है।

➢ राज्य सूची में कुल 66 विषय (वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59) हैं।

- जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं।

➢ समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों (वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52) का उल्लेख है।

- जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है।

➢ पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं।

➢ रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर संघ सूची के विषय हैं।

➢ आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद (तलाक) एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं।

➢ मूल भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 14 भाषाओं का वर्णन था।

➢ 21वें संविधान संशोधन, 1967 द्वारा सिंधी को तथा 71वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को जोड़ा गया।

➢ 92वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया।

➢ वर्तमान में आठवीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है।

6 संविधान की प्रस्तावना

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को - सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

➢ पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर, 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

➢ 22 जनवरी, 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया।

➢ उद्देश्य प्रस्ताव को ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना/उद्देशिका बनाई गई।

➢ बेरूबारी वाद (1960) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था।

➢ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया।

➢ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है।

➢ बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया' (1994) वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि 'उद्देशिका' संविधान का भाग है तथा 'पंथनिरपेक्षता' संविधान का मूल लक्षण है।

➢ 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' और 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।

➢ भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को तीन प्रकार के न्याय (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक) सुनिश्चित कराती है।

➢ उद्देशिका, संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है।

➢ सर अल्लादि कृष्णास्वामी अय्यर के अनुसार, उद्देशिका हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है।

➢ के.एम. मुंशी के अनुसार, उद्देशिका हमारे प्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है।

➢ उद्देशिका की प्रकृति न्याययोग्य नहीं है।

➢ प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है।

➢ भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 'संविधान की आत्मा' कहा जाता है।

➢ बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है।

➢ के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है।

➢ बी.आर. अंबेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है।

➢ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को 'संविधान का परिचय-पत्र' कहा है।

➢ सुभाष कश्यप ने कहा है कि 'संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा; प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका'।

➢ संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, हालांकि इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती।

- स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है, जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है।

➢ अब तक प्रस्तावना को मात्र एक बार (42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा) संशोधित किया गया है।

7 भारत संघ और उसके राज्यक्षेत्र

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश - भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया है। विभाजन के समय देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए - (i) भारत में शामिल हों; (ii) पाकिस्तान में शामिल हों या (iii) स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थीं; जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष तीन (हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर) ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा और कश्मीर को विलय-पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया।

➢ भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ एवं इसके राज्यक्षेत्रों का उल्लेख किया गया है।

➢ भारत को राज्यों का संघ (Union of States) घोषित किया गया है।

➢ वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 संघ शासित प्रदेश हैं।

> **नोट** - दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (केंद्रशासित प्रदेशों का विलय) अधिनियम, 2019 के तहत दो केंद्रशासित प्रदेशों यथा- 1. दादरा और नागर हवेली तथा 2. दमन और दीव का आपस में विलय हो जाने के उपरांत वर्तमान में देश में केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 8 हो गई है। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम 26 जनवरी, 2020 से लागू है।

➢ अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम (India, that is Bharat) तथा राज्यक्षेत्र का उल्लेख किया गया है।

➢ अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है।

➢ अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है।

> **नोट** - अनुच्छेद 2 तथा 3 के तहत संसद द्वारा किए गए संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है।

➢ संसद, संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भू-भाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है।

➢ जून, 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषायी प्रांत आयोग की नियुक्ति की।

- इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 1948 में पेश की।
- आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषायी आधार के स्थान पर, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किए जाने की सिफारिश की।

➢ दिसंबर, 1948 में कांग्रेस द्वारा एस.के. धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जे.वी.पी. समिति का गठन किया गया।

- इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया शामिल थे।
- अप्रैल, 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने अनौपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए।
- हालांकि पोट्टी श्रीरामुलु की 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण अक्टूबर, 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा।

➢ आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य है।

➢ भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। इसके अध्यक्ष फजल अली थे।

➢ इस आयोग ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

➢ भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में पारित किया गया।

➢ इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य तथा 6 केंद्रशासित प्रदेश स्थापित किए गए थे।

➢ नवंबर, 1954 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरीकल बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसे मिलाकर पांडिचेरी संघ राज्य का गठन किया गया।

➢ भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर, 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन व दीव को भारत संघ में मिला लिया गया।

➢ राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी।

➢ भारत में पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है।

क्षेत्रीय परिषद	मुख्यालय
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद	कोलकाता
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद	मुंबई
मध्य क्षेत्रीय परिषद	प्रयागराज (इलाहाबाद)
उत्तरी क्षेत्रीय परिषद	नई दिल्ली
दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद	चेन्नई

> **नोट** - पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड तथा सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है।

नए राज्यों का गठन

राज्य	गठन वर्ष
आंध्र प्रदेश	1 अक्टूबर, 1953
गुजरात, महाराष्ट्र	1 मई, 1960
नगालैंड	1 दिसंबर, 1963
हरियाणा	1 नवंबर, 1966
हिमाचल प्रदेश	25 जनवरी, 1971
मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा	21 जनवरी, 1972
सिक्किम	16 मई, 1975
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश	20 फरवरी, 1987
गोवा	30 मई, 1987
छत्तीसगढ़	1 नवंबर, 2000
उत्तराखंड	9 नवंबर, 2000
झारखंड	15 नवंबर, 2000
तेलंगाना	2 जून, 2014

8 नागरिकता

- भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का विवरण है।
- भारतीय संविधान नागरिकों को एकल (इकहरी) नागरिकता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, निम्न 5 विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है - जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से (देशीयकरण द्वारा) तथा राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा।
- भारतीय नागरिकता का अंत (लोप) तीन प्रकार से हो सकता है - (i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, (ii) नागरिकता त्यागने पर, (iii) सरकार द्वारा वंचित करने पर।
- अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन (आव्रजन) करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध हैं।
- अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन (आव्रजन) करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध हैं।
- अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध हैं।
- अनुच्छेद 9 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वत: समाप्त हो जाती है।
- प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 11 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है।
- नागरिक अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में सात वर्ष बिताने होंगे।
- संसद, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है।
- नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 में यह प्रावधान है कि 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पूर्व भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के हिंदुओं, सिक्खों, बौद्धों, जैनों, पारसियों तथा ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
- यह अधिनियम संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।
- यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित 'इनर लाइन' में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता।

9 मौलिक अधिकार

- नेहरू रिपोर्ट (1928) द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी।
- संविधान के भाग - 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। इन्हें 'भारत का अधिकार-पत्र' (Magnacarta) भी कहा जाता है।
- वर्तमान में संविधान के तहत नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है–
  - i. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 - 18)
  - ii. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 - 22)
  - iii. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 - 24)
  - iv. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)
  - v. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 - 30)
  - vi. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

i. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18)

- **अनुच्छेद 14 :** विधि के समक्ष समानता - राज्य, भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

> **नोट** - 'विधि के समक्ष समता' का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि 'विधियों के समान संरक्षण' को अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

- **अनुच्छेद 15 :** धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध - राज्य, किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।
- **अनुच्छेद 16 :** लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता - राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।

> **अपवाद** - पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में किया गया है।

- **अनुच्छेद 17 :** अस्पृश्यता का अंत - अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
- **अनुच्छेद 18 :** उपाधियों का अंत - सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व-अनुमति से ही स्वीकार करेगा।

ii. स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)

- **अनुच्छेद 19 :** वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण - वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत छः प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं -
  - अनुच्छेद 19(1) (क) : वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
  - अनुच्छेद 19(1) (ख) : शांतिपूर्ण, बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता।
  - अनुच्छेद 19(1) (ग) : संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता।
  - अनुच्छेद 19(1) (घ) : भारत के राज्यक्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता।
  - अनुच्छेद 19(1) (ङ) : भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता।
  - अनुच्छेद 19 (1) (छ) : जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता।

> नोट - (1) मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार [अनुच्छेद 19(1) (च) एवं अनुच्छेद 31] को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया।
> (2) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता [अनुच्छेद 19 (1) (क)] में ही 'प्रेस की स्वतंत्रता' को निहित माना गया है। इसी के तहत न्यायपालिका द्वारा 'मतदाताओं को सूचना के अधिकार' को भी निहित माना गया है।
> (3) अनुच्छेद 19(1)(क) से लेकर 19(1)(छ) तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19(6) तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं।

- **अनुच्छेद 20 :** अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण - इसके अंतर्गत तीन प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है - (1) किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्त विधि (उस समय लागू) का अतिक्रमण करेगा, (2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा, (3) किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
- **अनुच्छेद 21 :** प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण - किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है।
- उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है।

> नोट - सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई है–
> (i) गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार
> (ii) स्वच्छ पर्यावरण
> (iii) जीवन रक्षा का अधिकार
> (iv) निजता का अधिकार
> (v) स्वास्थ्य का अधिकार
> (vi) नि:शुल्क कानूनी सहायता का अधिकार
> (vii) त्वरित सुनवाई का अधिकार
> (viii) सूचना का अधिकार
> (ix) सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार आदि।

- **अनुच्छेद 21क :** शिक्षा का अधिकार- राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

> नोट - 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21(क) के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है।

- **अनुच्छेद 22 :** कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण - किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त हैं (1) उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाएगा, (2) उसे 24 घंटे के अंदर (यात्रा के समय को छोड़कर) निकटतम दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) के समक्ष पेश किया जाएगा। (3) उसे अपने पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

> **निवारक निरोध** - अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है और इस स्थिति में -
> - गिरफ्तार व्यक्ति को तीन माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है, यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है, तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा।
> - गिरफ्तार (निरुद्ध) व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है।

iii. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)

- अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है।
- अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है।

iv. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)

- अनुच्छेद 25 के तहत अंत:करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है।
- अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

> **नोट-** कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा।

v. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)

- अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित हैं।
- अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

vi. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

- मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट (निदेश या आदेश) जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है–(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), (B) परमादेश (Mandamus), (C) प्रतिषेध (Prohibition), (D) उत्प्रेषण (Certiorari), (E) अधिकार-पृच्छा (Quo - Warranto)।

(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) - न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में

उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके।

(B) परमादेश (Mandamus) - जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है।

(C) प्रतिषेध (Prohibition) - सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी किया जाता है।

(D) उत्प्रेषण (Certiorari) - सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि वह अपने यहां लंबित मुकदमों को उसके पास भेजें।

(E) अधिकार - पृच्छा (Quo - Warranto) - जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोक पद को धारित करता है, जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार-पृच्छा आदेश के द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से वह लोक पद धारित कर रहा है।

➢ अनुच्छेद 32 (संवैधानिक उपचारों का अधिकार) को डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा है।

➢ राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) में मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं।

● यह शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है।

➢ भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।

➢ केशवानंद भारती वाद (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है।

➢ मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है।

10 राज्य के नीति-निदेशक तत्व

नीति-निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग - 4 में (अनुच्छेद 36 से 51 तक) किया गया है। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता अर्थात इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है।

➢ नीति-निदेशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 में उल्लिखित है।

➢ इसके निम्न पक्ष हैं -

(i) नीति-निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू (Enforceable) नहीं कराए जा सकते हैं।

(ii) तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत (Fundamental) हैं।

(iii) राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे।

➢ अनुच्छेद 38 के तहत व्यवस्था है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।

➢ अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-निदेशक तत्व हैं, जैसे- पुरुष व स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष व स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याण परक कार्य आदि।

➢ अनुच्छेद 39क के तहत समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है।

➢ अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है।

➢ अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का प्रावधान है।

➢ अनुच्छेद 42 के तहत काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है।

➢ अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान किया गया है।

➢ अनुच्छेद 43क के तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना वर्णित है।

➢ अनुच्छेद 44 के तहत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान किया गया है।

➢ अनुच्छेद 45 के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देख-रेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है।

➢ अनुच्छेद 46 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि का वर्णन है।

➢ अनुच्छेद 47 के तहत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख है।

➢ अनुच्छेद 48 के तहत कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

➢ अनुच्छेद 48 क के तहत पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान है।

➢ अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान है।

➢ अनुच्छेद 50 के तहत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान है।

➢ अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संबंधी प्रावधान किए गए हैं।

मौलिक अधिकार एवं नीति-निदेशक तत्व में अंतर

मौलिक अधिकार	नीति-निदेशक तत्व
1. भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लिखित।	1. भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लिखित।
2. अमेरिका के संविधान से प्रेरित।	2. आयरलैंड के संविधान से प्रेरित।
3. इनकी प्रवृत्ति नकारात्मक है।	3. इनकी प्रवृत्ति सकारात्मक है।
4. ये वाद-योग्य हैं; इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है।	4. ये गैर-वाद योग्य हैं; इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है।
5. कानूनी रूप से मान्य।	5. नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता।
6. लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं।	6. लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता।
7. व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन।	7. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए।
8. नागरिक को स्वतः प्राप्त।	8. सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त।

11 मौलिक कर्तव्य

- ➢ मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग - 4क के अनुच्छेद 51क में किया गया है।
- ➢ 42वें संविधान संशोधन, 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था।
- ➢ इनको 'स्वर्ण सिंह समिति' की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया।
- ➢ ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित हैं।

मौलिक कर्तव्यों की सूची
51 क. मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह–
(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;
(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे;
(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;
(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;
(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;
(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
(ट) यदि माता - पिता या संरक्षक है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करे।

मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में 'जे.एस. वर्मा समिति' का गठन किया गया था।

मूलतः संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन, 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया।

12 संघीय कार्यपालिका

राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाए जाने के कारण राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। भारतीय संविधान के भाग-5 के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है।

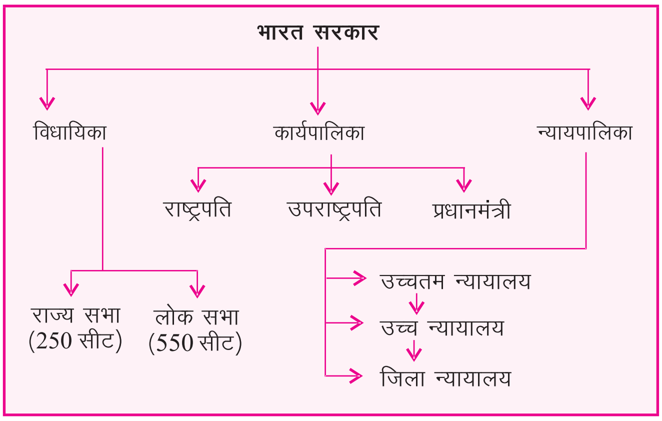

A. राष्ट्रपति

भारत का एक राष्ट्रपति होगा (अनुच्छेद 52)।

भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है।

अनुच्छेद 53 (1) के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होती है और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है।

निर्वाचन

अनुच्छेद 54 के अनुसार, एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है।

निर्वाचक मंडल में लोक सभा, राज्य सभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।

70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है।

राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है, जबकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे।

अनुच्छेद 55(3) के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है।

राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन हेतु उम्मीदवार के कम-से-कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए।

जमानत राशि के रूप में 15000 रु. जमा करना होता है।

यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है।

- ➢ राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है तथा उसका फैसला अंतिम होता है।

➢ राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है।

पदावधि

➢ अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह पद पर बना रहता है।

➢ अनुच्छेद 56(1)(ख) के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है।

➢ अनुच्छेद 57 के अनुसार, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र है।

➢ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

योग्यताएं

➢ अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताओं का विवरण है–

1. वह भारत का नागरिक हो;
2. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;
3. लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो;
4. चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हो।

नोट - राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है।

शपथ

➢ अनुच्छेद 60 के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है।

वेतन

➢ वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये है।

महाभियोग

➢ अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है।

➢ अनुच्छेद 61 (1) के तहत राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है।

➢ अनुच्छेद 61(2) के अनुसार, महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम-से-कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो।

➢ इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए।

➢ महाभियोग संसद की एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है।

➢ राष्ट्रपति पद की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है।

विशेष : यदि राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है या बीमारी अथवा अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उसके पुन: पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (इसका पद भी रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करेगा।

क्रम.	राष्ट्रपति	कार्यकाल
1.	राजेंद्र प्रसाद	26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962
2.	सर्वपल्ली राधाकृष्णन	13 मई, 1962 से 13 मई, 1967
3.	जाकिर हुसैन	13 मई, 1967 से 3 मई, 1969
4.	वी.वी. गिरि	24 अगस्त, 1969 से 24 अगस्त, 1974
5.	फखरुद्दीन अली अहमद	24 अगस्त, 1974 से 11 फरवरी, 1977
6.	नीलम संजीव रेड्डी	25 जुलाई, 1977 से 25 जुलाई, 1982
7.	ज्ञानी जैल सिंह	25 जुलाई, 1982 से 25 जुलाई, 1987
8.	आर. वेंकटरमन	25 जुलाई, 1987 से 25 जुलाई, 1992
9.	शंकर दयाल शर्मा	25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997
10.	के.आर. नारायणन	25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002
11.	ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007
12.	प्रतिभा देवीसिंह पाटिल	25 जुलाई, 2007 से 25 जुलाई, 2012
13.	प्रणब मुखर्जी	25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017
14.	राम नाथ कोविंद	25 जुलाई, 2017 से 25 जुलाई, 2022
15.	श्रीमती द्रौपदी मुर्मु	25 जुलाई, 2022 से अब तक

नोट - अभी तक वी.वी. गिरि 3 मई, 1969 से 20 जुलाई, 1969 तक, न्यायाधीश मुहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969 तक और बी.डी. जत्ती 11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं।

➢ डॉ. राजेंद्र प्रसाद लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे।

➢ डॉ. एस. राधाकृष्णन लगातार दो बार उपराष्ट्रपति और वह एक बार राष्ट्रपति रहे।

➢ वी.वी. गिरि के निर्वाचन के समय दो बार मतगणना हुई थी और वह द्वितीय चक्र की मतगणना में निर्वाचित हुए।

➢ नीलम संजीव रेड्डी की पहली बार चुनाव में पराजय हुई थी, जबकि दूसरी बार वे निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए।

➢ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवीसिंह पाटिल हैं।

राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां

कार्यकारी शक्तियां : राष्ट्रपति की निम्नलिखित कार्यकारी शक्तियां हैं-

➢ शासन संबंधी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं।

➢ वह प्रधानमंत्री से प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों की सूचना मांग सकता है।

➢ अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है।

➢ राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है।

➢ राष्ट्रपति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, भारतीय राजदूतों और अन्य राजनयिकों, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, महान्यायवादी, अंतरराज्यीय परिषद के सदस्य, संघ क्षेत्रों के आयुक्त, भाषा आयोग

के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य आदि शामिल हैं।

विधायी शक्तियां : राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त हैं–

- संसद के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोक सभा को भंग करने संबंधी अधिकार, प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार, सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार (अनुच्छेद 108)।
- संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन पर ही कानून बनता है।

> **नोट–** संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो तीन स्थितियों की संभावना बनती है -
> (i) वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करता है,
> (ii) वह विधेयक पर अपनी स्थिति स्पष्ट न करते हुए अपने पास ही रख लेता है। इसे राष्ट्रपति का 'पॉकेट वीटो' कहा जाता है।
> (iii) वह विधेयक को (धन विधेयक न होने पर) पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देता है।

- यदि संसद, विधेयक को संशोधन या बिना संशोधन के पुनः पारित कर राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करती है, तो राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है।
- वर्ष 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक (संशोधन) विधेयक के संदर्भ में पॉकेट वीटो (जेबी वीटो) का प्रयोग किया गया था।
- नए राज्यों के निर्माण, सीमा परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक, धन विधेयक, संचित निधि से व्यय से संबंधित विधेयक आदि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही सदन में पेश किए जाते हैं।
- राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता।
- राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा में विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्य सभा में मनोनीत करता है।

अध्यादेश की शक्ति

- अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है।
- राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति तभी होती है, जब दोनों या दोनों में से किसी एक सदन का सत्रावसान हो गया है या वह अन्यथा सत्र में नहीं है और इसलिए संसद द्वारा विधि अधिनियमित करना संभव नहीं है।
- इसका प्रभाव भी संसद द्वारा निर्मित कानून की तरह होता है।
- यह अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
- अध्यादेश को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा वापस लिया जा सकता है।
- **क्षमादान की शक्ति** –अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, दंड कम करने, दंड के परिहार व विराम का न्यायिक अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान याचिका रद्द करने पर वही याचिका दूसरी बार नहीं दाखिल की जा सकती है।
- **सैन्य अधिकार** –राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना, नौसेना) का सर्वोच्च कमांडर होता है।
- वह थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है।
- **कूटनीतिक शक्ति** - अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्तियों का अनुमोदन करता है।

आपातकालीन शक्तियां

- भारतीय संविधान के भाग-18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं।
- राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपात घोषित करने के अधिकार हैं–
  (1) राष्ट्रीय आपात : युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में (अनु. 352)
  (2) राष्ट्रपति शासन : राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में (अनु. 356)
  (3) वित्तीय आपात : वित्तीय आपात की स्थिति में (अनुच्छेद 360)

परामर्श की शक्ति

- अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है।

उपराष्ट्रपति

- उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- अनुच्छेद 63 के अनुसार, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्य सभा का 'पदेन सभापति' (Ex-Officio Chairman) होता है।
- जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्य सभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन-भत्ते का हकदार नहीं होगा।

निर्वाचन

- अनुच्छेद 66 के अनुसार, उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।

योग्यताएं

- उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए।
- वह राज्य सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो।
- उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम-से-कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने आवश्यक हैं।

> **नोट** - इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री है।

पदावधि

- अनुच्छेद 67 के अनुसार, उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतया 5 वर्ष होती है।
- इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है।

➢ उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। इसके लिए लोक सभा की सहमति आवश्यक है।

➢ इसके लिए 14 दिन पूर्व में लिखित सूचना देनी अनिवार्य है।

शपथ

➢ अनुच्छेद 69 के अनुसार, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है।

वेतन

➢ उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के सभापति का वेतन तथा भत्ता प्रदान किया जाता है।

➢ राज्य सभा के सभापति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपये प्रतिमाह है।

> **नोट** - जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, उस दौरान वह राज्य सभा के सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। उस दौरान उसे राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है।

शक्तियां एवं कार्य

➢ उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है (अनुच्छेद 64 एवं 89)।

➢ उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है।

● सभापति के रूप में उसे किसी विषय पर प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होता है, परंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है।

➢ जब राष्ट्रपति का पद उसके त्याग-पत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से खाली होता है, तो उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

भारत के उपराष्ट्रपति	कार्यकाल
1. डॉ.एस. राधाकृष्णन	- 1952 से 1962
क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 - 57 एवं द्वितीय कार्यकाल 1957 - 62	
2. जाकिर हुसैन	- 1962 से 1967
3. वी.वी. गिरि	- 1967 से 1969
4. गोपाल स्वरूप पाठक	- 1969 से 1974
5. बी.डी. जत्ती	- 1974 से 1979
6. न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला	- 1979 से 1984
7. आर. वेंकटरमण	- 1984 से 1987
8. डॉ. शंकर दयाल शर्मा	- 1987 से 1992
9. के.आर. नारायणन	- 1992 से 1997
10. कृष्णकांत	- 1997 से 2002
11. भैरो सिंह शेखावत	- 2002 से 2007
12. हामिद अंसारी	- 2007 से 2017
क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 - 12 एवं द्वितीय कार्यकाल 2012 - 17	
13. वेंकैया नायडू	- 11 अगस्त, 2017 से 10 अगस्त, 2022
14. जगदीप धनखड़	- 11 अगस्त, 2022 से अब तक

➢ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है।

● इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है।

➢ जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो उस दौरान राज्य सभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता।

> **नोट** - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।

B. केंद्रीय मंत्रिपरिषद

➢ केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री शामिल होते हैं।

➢ भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है।

➢ इस व्यवस्था के अनुसार, राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं।

➢ अनुच्छेद 74(1) के अनुसार, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।

➢ राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा (42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल)।

➢ परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा (44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा शामिल)।

➢ अनुच्छेद 74(2) के अनुसार, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी।

➢ सामान्यतया राष्ट्रपति लोक सभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।

➢ अनुच्छेद 75(1) के अनुसार, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।

➢ प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है।

➢ अनुच्छेद 75(1)(क) के अनुसार, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

● संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया।

➢ अनुच्छेद 75 (3) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

➢ यदि लोक सभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग-पत्र देना पड़ता है।

प्रधानमंत्री (क्रमानुसार)	कार्यकाल
1. जवाहरलाल नेहरू	- 15 अगस्त, 1947 से 27 मई, 1964
2. गुलजारी लाल नंदा	- 27 मई, 1964 से 9 जून, 1964 (कार्यवाहक)
3. लाल बहादुर शास्त्री	- 9 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966
4. गुलजारी लाल नंदा	-11 जन., 1966 से 24 जन., 1966 (कार्यवाहक)
5. इंदिरा गांधी	- 24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977

6. मोरारजी देसाई	- 24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979
7. चरण सिंह	- 28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980
8. इंदिरा गांधी	- 14 जनवरी, 1980 से 31 अक्टूबर, 1984
9. राजीव गांधी	- 31 अक्टूबर, 1984 से 2 दिसंबर, 1989
10. विश्वनाथ प्रताप सिंह	- 2 दिसंबर, 1989 से 10 नवंबर, 1990
11. चंद्रशेखर	- 10 नवंबर, 1990 से 21 जून, 1991
12. पी.वी. नरसिम्हा राव	- 21 जून, 1991 से 16 मई, 1996
13. अटल बिहारी वाजपेयी	- 16 मई, 1996 से 1 जून, 1996
14. एच.डी. देवेगौड़ा	- 1 जून, 1996 से 21 अप्रैल, 1997
15. इंद्र कुमार गुजराल	- 21 अप्रैल, 1997 से 19 मार्च, 1998
16. अटल बिहारी वाजपेयी	- 19 मार्च, 1998 से 22 मई, 2004 (दो बार)
17. मनमोहन सिंह	- 22 मई, 2004 से 26 मई, 2014
18. नरेंद्र मोदी	- 26 मई, 2014 से अब तक

- संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड (3) में किया गया है।
- केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है।
- इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है।
- मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।
- अनुच्छेद 75(5) के अनुसार, यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है, तो फिर 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा।
- मंत्री तीन प्रकार के होते हैं - कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री।
- प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है।
- अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है।
- प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतरराज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है।
- प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्याग-पत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय (16 वर्ष, 286 दिन) तक प्रधानमंत्री रहे थे।
- मोरारजी देसाई प्रथम गैर - कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वह प्रधानमंत्री के पद से त्याग-पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे।
- चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने लोक सभा का सामना नहीं किया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे।
- देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थीं।
- तीन प्रधानमंत्रियों (जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी) की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी।
- मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे।
- पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे, जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे।
- अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि, मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री थे।
- एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे।
- अब तक छः प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे हैं - मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वी.पी. सिंह, पी.वी. नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी।
- जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया।

C. संसद

- संसद, संघीय सरकार का विधायी अंग है।
- संसदीय शासन प्रणाली (वेस्टमिंस्टर मॉडल) अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है।
- संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है।
- अनुच्छेद 79 के अनुसार, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्य सभा तथा लोक सभा से मिलकर बनती है।
- संसद में दो सदन होते हैं, उच्च सदन को राज्य सभा तथा निम्न सदन को लोक सभा कहा जाता है।
- राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है।
- संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता, जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है।

D. राज्य सभा

- राज्य सभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है।
- राज्य सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है।
- इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं [अनुच्छेद 80(1)]।
- राज्य सभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है।

राज्य सभा सदस्य संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	सदस्य संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सदस्य संख्या
आंध्र प्रदेश	11	अरुणाचल प्रदेश	1
असम	7	बिहार	16
छत्तीसगढ़	5	गोवा	1
गुजरात	11	हरियाणा	5
हिमाचल प्रदेश	3	जम्मू एवं कश्मीर	4
झारखंड	6	कर्नाटक	12
केरल	9	मध्य प्रदेश	11
महाराष्ट्र	19	मणिपुर	1

मेघालय	1	मिजोरम	1
नगालैंड	1	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	3
ओडिशा	10	पुदुचेरी	1
पंजाब	7	राजस्थान	10
सिक्किम	1	तमिलनाडु	18
त्रिपुरा	1	उत्तर प्रदेश	31
उत्तराखंड	3	पश्चिम बंगाल	16
तेलंगाना	7		

- ➢ भारत के संघ राज्यक्षेत्रों में से मात्र 3 (दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर) संघ राज्यक्षेत्र के प्रतिनिधि राज्य सभा में शामिल होते हैं।
- ➢ भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्य सभा के लिए राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है।
- ➢ राज्य सभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
- ➢ राज्य सभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होती।
- ➢ राज्य सभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है।
- ➢ प्रत्येक दो वर्ष पर इसके एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं [अनुच्छेद 83(1)]।
- ➢ अनुच्छेद 89(1) के अनुसार, भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
- ➢ राज्य सभा का सभापति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता है।
- ➢ जब उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो उसे राज्य सभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता।
- ● इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन एवं भत्ता प्राप्त करता है।
- ➢ राज्य सभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्य सभा का उपसभापति चुनते हैं [अनुच्छेद 89(2)]।

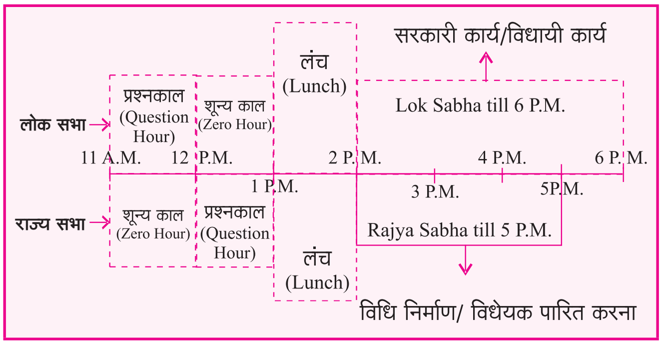

- ➢ वर्तमान में राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं।
- ➢ अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है -
  - (क) यदि वह राज्य सभा सदस्य नहीं रहता है, तो पद रिक्त कर देगा,
  - (ख) उपसभापति, सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है,
  - (ग) राज्य सभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है।
- ➢ अनुच्छेद 92 के अनुसार, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तो वह पीठासीन नहीं होगा।
- ➢ वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्य सभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो।

राज्य सभा की विशेष शक्तियां

- ➢ राज्य सभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो- तिहाई बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है (अनुच्छेद 249)।
- ● इस प्रकार का कानून मात्र एक वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्य सभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
- ➢ अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्य सभा को प्राप्त है।
- ➢ राज्य सभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत दो-तिहाई बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है।
- ➢ लोक सभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्य सभा में 14 दिनों के लिए आता है।
- ● यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता है, तो उसे पारित समझा जाता है।
- ● राज्यसभा धन विधयेक में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती, जिससे लोकसभा सहमत न हो।
- ➢ राज्य सभा का गठन 3 अप्रैल, 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई, 1952 को हुई थी।
- ➢ राष्ट्रपति वर्ष में कम-से-कम दो बार राज्य सभा का अधिवेशन बुलाता है।
- ● इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

E. लोक सभा

- ➢ लोक सभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है।
- ➢ लोक सभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है।

> **नोट-** ध्यातव्य है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोक सभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष (25 जनवरी, 2030 तक) के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोक सभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी, 2020 से समाप्त कर दिया गया है।

- ➢ अनुच्छेद 81 (1) के अनुसार, लोक सभा (क) राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अनधिक सदस्यों और (ख) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से, जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे, चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।

> नोट - लोक सभा में राज्यवार सीटों का आवंटन, 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना (87वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 से) पर आधारित है।
>
> - 84वें संविधान संशोधन, 2001 के प्रावधान के अनुसार, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक अर्थात 2031 तक लोक सभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

- ➢ वर्तमान में लोक सभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्रशासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं।
- ➢ अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, लोक सभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी।
- हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोक सभा को विघटित करने का अधिकार है।
- ➢ लोक सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं (अनुच्छेद 330)।

लोक सभा सदस्य संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	सदस्य संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सदस्य संख्या
आंध्र प्रदेश	25	अरुणाचल प्रदेश	2
असम	14	बिहार	40
छत्तीसगढ़	11	गुजरात	26
गोवा	2	हिमाचल प्रदेश	4
हरियाणा	10	झारखंड	14
जम्मू एवं कश्मीर	5	केरल	20
कर्नाटक	28	मेघालय	2
महाराष्ट्र	48	मणिपुर	2
मध्य प्रदेश	29	मिजोरम	1
नगालैंड	1	ओडिशा	21
पंजाब	13	राजस्थान	25
सिक्किम	1	तेलंगाना	17
तमिलनाडु	39	त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	80	उत्तराखंड	5
पश्चिम बंगाल	42	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
दिल्ली (राष्ट्रीय राज. क्षे.)	7	दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	2
चंडीगढ़	1		
लक्षद्वीप	1	पुदुचेरी	1
लद्दाख	1		

- ➢ लोक सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार (18 वर्ष) के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है।
- ➢ लोक सभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो।

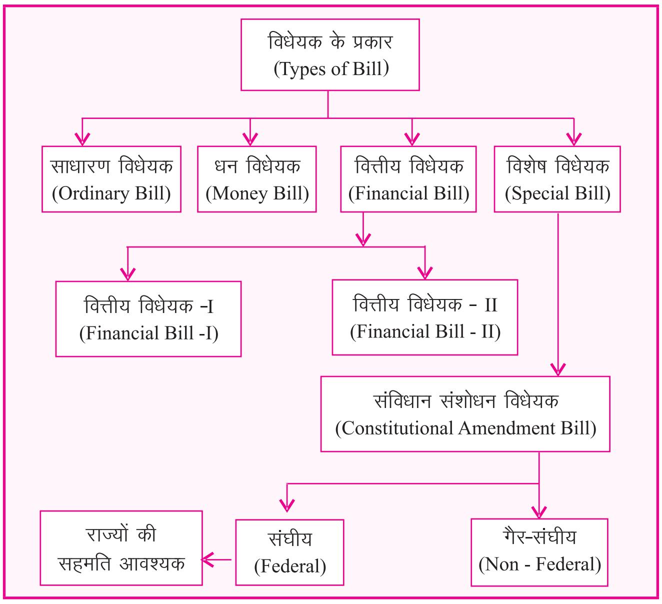

- ➢ आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोक सभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है।
- ➢ आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी।
- ➢ लोक सभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि सत्रावसान और विघटन राष्ट्रपति करता है।
- ➢ मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- ➢ लोक सभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 (55 सदस्य) होता है।

F. लोक सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

- ➢ अनुच्छेद 93 के अनुसार, लोक सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है।
- ➢ लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोक सभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में।
- ➢ अनुच्छेद 94(ख) के अनुसार, लोक सभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को अपना त्याग-पत्र दे सकता है।
- ➢ लोक सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा (अध्यक्ष व उपाध्यक्ष) पद से हटाया जा सकता है, हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है।
- ➢ अनुच्छेद 96 के तहत जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर प्रथमत: मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा।
- ➢ लोक सभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमत: मत नहीं देता तथा वह अपने निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग केवल तब करता है, जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर अथवा टाई (Tie) हो जाते हैं [अनुच्छेद 100(1)]।

अन्य तथ्य

- अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया।
- लोक सभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है [अनुच्छेद 118(4)]।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोक सभा अध्यक्ष करता है।
- प्रथम लोक सभा का कार्यकाल 17 अप्रैल, 1952 से 4 अप्रैल, 1957 तक रहा, जबकि लोक सभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई, 1952 को शुरू हुआ था।

लोक सभा अध्यक्ष		
क्रम.	अध्यक्ष	कार्यकाल
1.	जी.वी. मावलंकर	- 15 मई, 1952 से 27 फरवरी, 1956
2.	एम. अनंतशयनम आयंगर	- 08 मार्च, 1956 से 16 अप्रैल, 1962
3.	हुकुम सिंह	- 17 अप्रैल, 1962 से 16 मार्च, 1967
4.	एन. संजीव रेड्डी	- 17 मार्च, 1967 से 19 जुलाई, 1969 - 26 मार्च, 1977 से 13 जुलाई, 1977
5.	जी.एस. ढिल्लन	- 08 अगस्त, 1969 से 17 मार्च, 1971 - 22 मार्च, 1971 से 1 दिसंबर, 1975
6.	बलि राम भगत	- 15 जनवरी, 1976 से 25 मार्च, 1977
7.	के.एस. हेगड़े	- 21 जुलाई, 1977 से 21 जनवरी, 1980
8.	बलराम जाखड़	- 22 जनवरी, 1980 से 18 दिसंबर, 1989
9.	रवि राय	- 19 दिसंबर, 1989 से 9 जुलाई, 1991
10.	शिवराज वी. पाटिल	- 10 जुलाई, 1991 से 22 मई, 1996
11.	पी.ए. संगमा	- 23 मई, 1996 से 23 मार्च, 1998
12.	जी.एम.सी. बालयोगी	- 24 मार्च, 1998 से 19 अक्टूबर, 1999 - 22 अक्टूबर, 1999 से 3 मार्च, 2002
13.	मनोहर जोशी	- 10 मई, 2002 से 2 जून, 2004
14.	सोमनाथ चटर्जी	- 04 जून, 2004 से 31 मई, 2009
15.	मीरा कुमार	- 04 जून, 2009 से 4 जून, 2014
16.	सुमित्रा महाजन	- 06 जून, 2014 से 17 जून, 2019
17.	ओम बिड़ला	- 19 जून, 2019 से अब तक

- प्रथम लोक सभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर तथा उपाध्यक्ष एम. अनंतशयनम आयंगर थे।
- पहली महिला लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार थीं।
- सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोक सभा क्षेत्र मलकाजगिरी (तेलंगाना) तथा सबसे कम मतदाताओं वाला लोक सभा क्षेत्र लक्षद्वीप है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोक सभा क्षेत्र लद्दाख तथा सबसे छोटा चांदनी चौक, दिल्ली है।
- भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है।
- भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है।
- लोक सभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोक सभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है।
- प्रो-टेम स्पीकर (Pro-tem Speaker) आम चुनाव के बाद नव-निर्वाचित लोक सभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं।
- नव-निर्वाचित सदन में लोक सभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोक सभा के सामान्यत: सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो-टेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है।
- अनुच्छेद 85(1) के अनुसार, लोक सभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा।
  - इस प्रकार लोक सभा के कम-से-कम वर्ष में दो बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है।
- लोक सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्य सभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं।
- कोई संसद सदस्य जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
- अनुच्छेद 108 के अनुसार, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है, जब किसी विधेयक (धन विधेयक एवं अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त) पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो।
- अनुच्छेद 118(4) के अनुसार, लोक सभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है।
- अब तक तीन बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है।
  - वर्ष 1961 में प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर।
  - वर्ष 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग (निरसन) विधेयक पर।
  - वर्ष 2002 में तृतीय संयुक्त बैठक पोटा के लिए बुलाई गई थी।
- कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोक सभा अध्यक्ष करता है।
- कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है।
- भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है।
- संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार, विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है, तो लोक सभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है।

G. संसदीय समितियां

- संसद, विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है।
- ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष/सभापति द्वारा नाम-निर्देशित की जाती हैं।
- ये अध्यक्ष/सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभाध्यक्ष/सभापति को सौंपती हैं।
- संसदीय समितियों को मुख्यत: दो भागों में विभाजित किया जाता है - (i) स्थायी समितियां तथा (ii) तदर्थ समितियां।
- स्थायी समितियां, स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं।

- इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय-समय पर किया जाता है।
- तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है।
- जिस उद्देश्य के लिए तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है, उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है।
- विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण हैं।
- प्रमुख स्थायी समितियां हैं - (i) वित्त समितियां, (ii) विभागीय स्थायी समितियां, (iii) जांच समिति, (iv) परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, (v) सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां, (vi) सदन समिति अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि।
- वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल हैं।

लोक लेखा समिति

- इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोक सभा से तथा 7 सदस्य राज्य सभा से लिए जाते हैं।
- इस समिति के अध्यक्ष को लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- इसके सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है।
- इसे प्राक्कलन समिति की 'जुड़वां बहन' के रूप में भी जाना जाता है।

प्राक्कलन समिति

- इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोक सभा से ही लिए जाते हैं।
- इनका कार्यकाल एक वर्ष होता है।
- इसमें राज्य सभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है।
- इसका अध्यक्ष लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- सरकारी खर्च में कमी लाने आदि विषयों पर यह समिति रिपोर्ट देती है।

सार्वजनिक उपक्रम समिति

- इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 सदस्य लोक सभा से तथा 7 सदस्य राज्य सभा से होते हैं।
- समिति के अध्यक्ष को लोक सभा अध्यक्ष नियुक्त करता है।
- कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता।

महत्वपूर्ण शब्दावलियां

- **शून्यकाल—** राज्य सभा में 11 बजे से 12 बजे के बीच व लोक सभा में 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय को शून्यकाल कहा जाता है।
- इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है।

तारांकित प्रश्न एवं अतारांकित प्रश्न

- ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है, तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है।
- ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है, अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं।

विनियोग विधेयक

- इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जा सकता है।
- इसमें संचित निधि पर भारित व्यय और अनुदान की मांग शामिल होती है।

वित्त विधेयक

- अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान हैं।
- ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं, वित्त विधेयक कहलाते हैं।

धन विधेयक

- संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड (क) से उपखंड (छ) तक उल्लिखित विषयों से संबंधित विधेयक, धन विधेयक कहलाते हैं।
- **नियम 193 -** लोक सभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय एवं अति महत्व वाले विषय पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जा सकती है।
- **गणपूर्ति -** सदन की बैठकों में गणपूर्ति (कोरम) आवश्यक होती है। यह कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग (1/10) होता है। इसके अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाती है।

13 उच्चतम न्यायालय

भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसमें शीर्ष स्थान पर उच्चतम न्यायालय तथा उसके अधीन कई उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों की श्रेणियां भी विद्यमान हैं।

- न्यायपालिका की यह एकीकृत प्रणाली, भारत सरकार अधिनियम, 1935 से ली गई है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी, 1950 को हुई थी, जबकि उद्घाटन 28 जनवरी, 1950 को किया गया था।
- भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 124 से 147 तक में उल्लिखित हैं।

गठन

- अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन संबंधी प्रावधान हैं।
- पहले उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे।
- वर्तमान में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अधिनियम, 2019 के द्वारा अन्य न्यायाधीशों की अधिकतम स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 कर दी गई है।
- इस प्रकार वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है।

पदावधि

- उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- हालांकि अवकाश ग्रहण करने हेतु अधिकतम आयु 65 वर्ष है।
- अवकाश प्राप्ति के बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते।

नियुक्ति

- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- अन्य न्यायाधीशों के मामले में मुख्य न्यायाधीश से सलाह के बाद राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है।

योग्यताएं

(i) वह भारत का नागरिक हो।

(ii) वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम-से-कम पांच वर्ष के लिए न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो।

(iii) या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो।

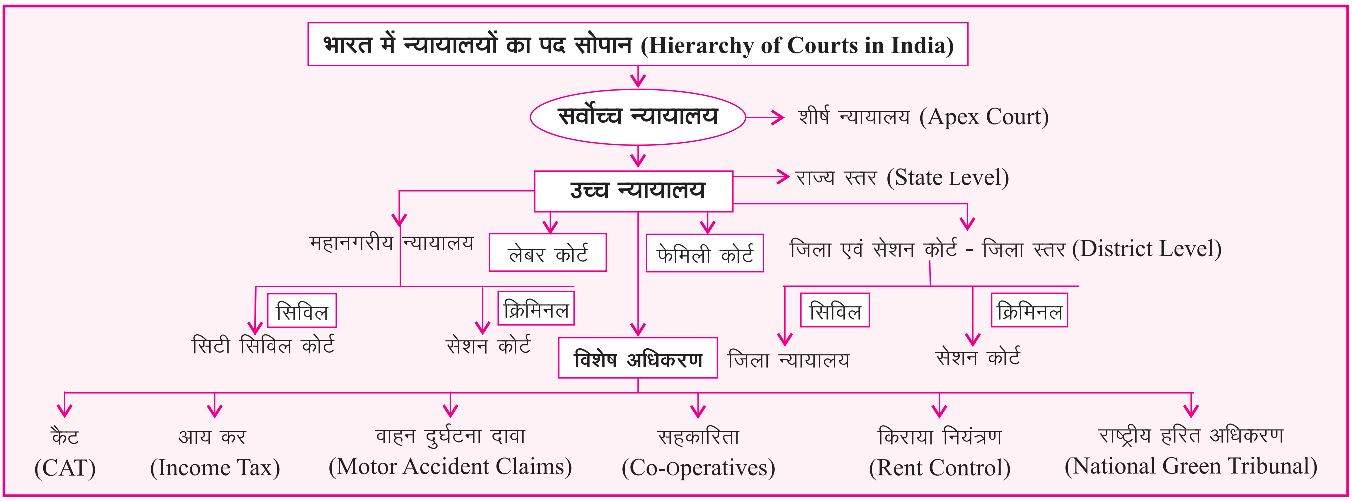

शपथ

➢ राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाता है।

वेतन एवं भत्ते

➢ संसद द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन, भत्ते आदि का निर्धारण समय-समय पर किया जाता है।

➢ वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन प्रतिमाह 2.8 लाख रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह है। इसके अलावा उन्हें अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं।

पदमुक्ति

➢ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो - तिहाई बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

➢ कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

> ✍ **नोट** - संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।

उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकारिता

आरंभिक अधिकारिता निम्नलिखित मामलों में—

(i) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में, या

(ii) भारत सरकार और कोई एक राज्य या अनेक राज्यों तथा एक या एक से अधिक अन्य राज्यों के बीच विवादों में,

(iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद, जहां वैधानिक अधिकारों के प्रश्न शामिल हैं।

अपीलीय क्षेत्राधिकार

➢ उच्चतम न्यायालय, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इस क्षेत्राधिकार को चार वर्गों में यथा- संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशेष अनुमति द्वारा अपील में विभाजित किया जा सकता है।

परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार

➢ अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विषयों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है।

● हालांकि यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है।

पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार

➢ अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं के निर्णयों पर पुनर्विचार कर सके।

अभिलेख न्यायालय

➢ अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है।

● इसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं।

न्यायादेश क्षेत्राधिकार

➢ भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है।

➢ अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है; यथा—बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा और उत्प्रेषण।

> ✍ **नोट** - न्यायादेश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय मात्र मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में रिट जारी कर सकता है।
>
> ● जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के लिए न्यायादेश जारी कर सकता है, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी इसे जारी कर सकता है।
>
> ● इस प्रकार इस क्षेत्र में उच्च न्यायालय की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तृत है।

14 उच्च न्यायालय

भारतीय संविधान द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। सातवें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से अधिक राज्यों तथा किसी केंद्रशासित प्रदेश के लिए एक ही संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।

➢ संविधान के भाग 6 में, अनुच्छेद 214 से 231 तक में राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन, क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान उल्लिखित हैं।

➢ अनुच्छेद 214 के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा।

➢ अनुच्छेद 231 के अनुसार, संसद विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है।

उच्च न्यायालय

नाम	स्थापना वर्ष	अधिकारिता क्षेत्र	मुख्य पीठ
1. इलाहाबाद	1866	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (पीठ-लखनऊ)
2. आंध्र प्रदेश	1 जनवरी, 2019	आंध्र प्रदेश	अमरावती
3. बॉम्बे	1862	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव	बॉम्बे (पीठ-नागपुर, पणजी एवं औरंगाबाद)
4. कलकत्ता	1862	पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार	कोलकाता (सर्किट बेंच-पोर्ट ब्लेयर)
5. छत्तीसगढ़	2000	छत्तीसगढ़	बिलासपुर
6. दिल्ली	1966	दिल्ली	दिल्ली
7. गौहाटी	1948	असम, नगालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश	गौहाटी (पीठ-कोहिमा, आइजोल, ईटानगर)
8. गुजरात	1960	गुजरात	अहमदाबाद
9. हिमाचल प्रदेश	1971	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10. जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	1928	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	श्रीनगर (मई से अक्टूबर) और जम्मू (नवंबर से अप्रैल)
11. झारखंड	2000	झारखंड	रांची
12. कर्नाटक	1884	कर्नाटक	बंगलुरू (पीठ-धारवाड़, गुलबर्गा)
13. केरल	1956	केरल एवं लक्षद्वीप	एर्नाकुलम
14. मध्य प्रदेश	1956	मध्य प्रदेश	जबलपुर (पीठ-ग्वालियर और इंदौर)
15. मद्रास	1862	तमिलनाडु एवं पुदुचेरी	चेन्नई (पीठ-मदुरई)
16. ओडिशा	1948	ओडिशा	कटक
17. पटना	1916	बिहार	पटना
18. पंजाब एवं हरियाणा	1966	पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़	चंडीगढ़
19. राजस्थान	1949	राजस्थान	जोधपुर (पीठ - जयपुर)
20. सिक्किम	1975	सिक्किम	गंगटोक
21. उत्तराखंड	2000	उत्तराखंड	नैनीताल
22. मेघालय	मार्च, 2013	मेघालय	शिलांग
23. मणिपुर	मार्च, 2013	मणिपुर	इम्फाल
24. त्रिपुरा	मार्च, 2013	त्रिपुरा	अगरतला
25. तेलंगाना	1 जनवरी, 2019	तेलंगाना	हैदराबाद

➢ प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

➢ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है।

➢ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है।

➢ अलग-अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग-अलग होती है। राष्ट्रपति कार्य की आवश्यकतानुसार समय-समय पर इनकी संख्या निर्धारित करता है।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष है।

- इससे पूर्व भी वे राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्याग-पत्र दे सकते हैं।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसी प्रक्रिया से पदच्युत किया जा सकता है, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जाता है।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है।

- राष्ट्रपति ऐसा आदेश संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पद से हटाने के लिए उसी सत्र में विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर ही जारी कर सकता है।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है।

➢ अनुच्छेद 217(2) के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए वही योग्य हैं, जो भारत के नागरिक हैं और -

(i) ऐसे व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हों, या

(ii) ऐसे व्यक्ति जो न्यूनतम 10 वर्ष भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक पद धारण कर चुके हों।

➢ अनुच्छेद 202(3)(घ) के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं।

- जबकि उनकी पेंशन अनुच्छेद 112(3)(घ)(iii) के तहत भारत के संचित निधि पर भारित होती है।

➢ अनुच्छेद 215 के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है।

➢ अभिलेख न्यायालय होने का तात्पर्य है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होंगे तथा उसको अपने अवमान के लिए दंड देने सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

➢ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख तथा अन्य न्यायाधीशों को 2.25 लाख रुपये मासिक वेतन मिलता है।

➢ अनुच्छेद 223 के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त रहने पर या उसके अनुपस्थित रहने पर उस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

➢ अनुच्छेद 224 के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के कार्य में अस्थायी वृद्धि या कार्य के बकाया रहने के कारण सम्यक् रूप से अर्हित व्यक्तियों को दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अपर न्यायाधीश (Additional Judges) के रूप में नियुक्त कर सकता है तथा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या कर्तव्यों के पालन में असमर्थ रहने की अवधि तक के लिए सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश (Acting Judge) के रूप में नियुक्त कर सकता है।

● ऐसे न्यायाधीश भी 62 वर्ष की आयु तक ही पद धारण कर सकते हैं।

➢ केंद्रशासित प्रदेशों में दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर के पास अपना उच्च न्यायालय है।

➢ भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं।

➢ कुल 7 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर है।

➢ भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के तहत अनुच्छेद 233 से 237 तक में अधीनस्थ न्यायालयों हेतु प्रावधान किए गए हैं।

➢ 1862 ई. में सर्वप्रथम तत्कालीन कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी।

➢ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 से तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों की सुनवाई का अधिकार है।

उच्च न्यायालय की शक्तियां

➢ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों से स्थानांतरित मामले, अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना आदि आते हैं।

➢ अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। यहां अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। यहां दीवानी एवं फौजदारी मामलों की अपील भी की जा सकती है।

➢ अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

➢ उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण बनाए रखता है।

➢ पर्यवेक्षण की शक्ति के क्षेत्र में उच्च न्यायालय को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं। इसमें प्रशासनिक पर्यवेक्षण के साथ न्यायिक पर्यवेक्षण भी शामिल है।

15 महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता

➢ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) का उल्लेख किया गया है।

➢ यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है।

➢ इसके कर्तव्यों में भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कार्यों का पालन करना शामिल है, जो राष्ट्रपति समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे।

➢ अनुच्छेद 76(1) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी पद पर नियुक्त करता है।

➢ महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है, जो राष्ट्रपति निर्धारित करे।

➢ किंतु वह न तो सरकार का पूर्णकालिक विधि परामर्शी है और न सरकारी सेवक।

➢ महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।

➢ महान्यायवादी की सहायता के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होते हैं।

➢ भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में या उसकी समिति की बैठक में बोल सकता है, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है (अनुच्छेद 88)।

➢ अनुच्छेद 105 के अनुसार, अपने पद के आधार पर उसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार प्राप्त हैं।

➢ अनुच्छेद 165 के तहत राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की व्यवस्था की गई है।

● यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।

➢ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है।

➢ महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।

➢ महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

➢ महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होते हुए भी उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है और उसे संबोधित कर सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है।

➢ महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा दिए गए समस्त विधिक कार्यों का संपादन करता है।

महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का मासिक वेतन		
1.	राष्ट्रपति	5,00,000 रुपये
2.	उपराष्ट्रपति	4,00,000 रुपये
3.	राज्यपाल	3,50,000 रुपये
4.	सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	2,80,000 रुपये
5.	सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	2,50,000 रुपये
6.	उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	2,50,000 रुपये
7.	उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश	2,25,000 रुपये
8.	नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	2,50,000 रुपये
9.	मुख्य चुनाव आयुक्त	2,50,000 रुपये

16 नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

- भारत सरकार में एक महत्वपूर्ण पद नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का है, जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली (संघ और राज्य दोनों स्तरों का) का नियंत्रण करता है।
- अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा।
- यह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। वह भारत की संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का निष्पक्ष प्रधान होता है।
- इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह अवकाश ग्रहण कर लेगा।
- यह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है।
- इसकी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, किंतु इसे उसी रीति (साबित कदाचार एवं असमर्थता) के आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है, जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- वह केंद्र सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं।
- वह राज्य सरकार के लेखा से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाते हैं।

भारत की संचित निधि

- अनुच्छेद 266 के तहत भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखा का प्रावधान किया गया है।
- संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित करके ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकालकर व्यय की जाती है।
- भारत की संचित निधि पर भारित व्यय—
  - (i) राष्ट्रपति का वेतन, भत्ता एवं अन्य व्यय।
  - (ii) लोक सभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा राज्य सभा सभापति और उपसभापति के वेतन एवं भत्ते।
  - (iii) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन।
  - (iv) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन आदि।

आकस्मिकता निधि

- संविधान का अनुच्छेद 267, संसद और राज्य विधानमंडल को भारत या राज्य की आकस्मिकता निधि सृजित करने की शक्ति देता है।
- इस निधि का गठन भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 द्वारा किया गया है।

17 राज्य की कार्यपालिका

- भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है।
- राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता शामिल होते हैं।

A. राज्यपाल (Governor)

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
- राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है।

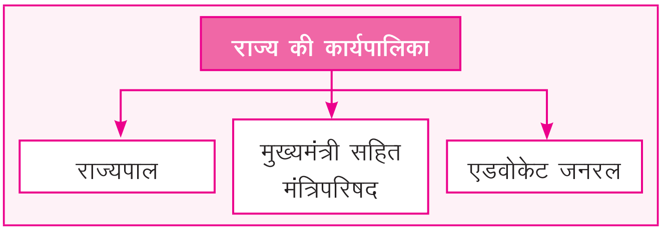

- राज्यपाल स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करता है।
- अनु. 153 के अनुसार, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है।
- 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार किसी एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं (अनुच्छेद 157)

A. वह भारत का नागरिक हो।

B. 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

शर्तें

- अनुच्छेद 158 के तहत राज्यपाल के पद के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान किया गया है -

  (i) राज्यपाल को संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।

  (ii) उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।

  (iii) कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों व भत्तों को कम नहीं किया जा सकता आदि।

नियुक्ति एवं पदावधि

- अनुच्छेद 155 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सामान्यतया पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।
- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है [अनु. 156(1)]।
- वह राष्ट्रपति को संबोधित त्याग-पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है।
- राज्यपाल संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है।

वेतन

- राज्यपाल का वेतन 3 लाख, 50 हजार रुपये मासिक है।
- दो अथवा दो से अधिक राज्यों का कार्यभार ग्रहण करने पर उसे राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अवधारित अतिरिक्त वेतन भी प्रदान किया जाएगा।
- राज्यपाल को उसके कार्यकाल के दौरान न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की गिरफ्तारी अथवा आपराधिक कार्रवाई आदेश जारी नहीं किया जा सकता है।
- संघ शासित प्रदेश दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में राज्यपाल के स्थान पर उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था है।
- संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप में राज्यपाल के स्थान पर प्रशासक पद की व्यवस्था है।

नोट - पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है।

राज्यपाल की शक्तियां अथवा कार्य
(Work or Power of the Governor)

कार्यकारी शक्तियां

- राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।

विशेष : राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, परंतु उन्हें हटा नहीं सकता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।

- राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति को परामर्श देता है।
- राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति करता है।
- राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
- राज्य के प्रशासन के संदर्भ में वह मुख्यमंत्री से समय-समय पर सूचनाएं प्राप्त कर सकता है।
- राज्यपाल राज्य के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद (Legislative Council) की कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं।

विधायी शक्तियां

- राज्यपाल, राज्य विधानमंडल का अंग होता है।
- राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के सत्र को आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान कर सकता है।
- राज्यपाल विधानसभा को विघटित कर सकता है।
- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है।
- यदि किसी विषय पर तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो, परंतु उस समय राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
- राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश यदि 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा अनुमोदित नहीं होता है, तो वह स्वतः समाप्त हो जाता है।
- राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी भी विधेयक को राज्य विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
- परंतु राज्य विधानमंडल द्वारा दोबारा पारित किए जाने पर अपनी सहमति देने के लिए राज्यपाल बाध्य होता है।
- अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल किसी विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।
- अनुच्छेद 201 के अनुसार, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख लिया जाता है, तब राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, या अनुमति रोक लेता है।

न्यायिक शक्तियां

- अनुच्छेद 161 के अनुसार, राज्यपाल को ऐसे विषयों, जिन पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, पर किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति होगी।
- राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श करता है।
- राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा प्रदान नहीं कर सकता है।

नोट - राज्यपाल को सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश के विषय में क्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं है।

वित्तीय शक्तियां

- राज्यपाल की पूर्व-अनुमति के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जाता है।
- राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के समक्ष राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करवाता है [अनु 202]।
- राज्यपाल किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से धन अग्रिम रूप से दे सकता है।
- वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है।

आपातकालीन शक्तियां

- जब राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, जिससे राज्यपाल को यह समाधान हो जाए कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता, तो वह राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्य में कथित राष्ट्रपति शासन [अनु. 356] लागू करने को परामर्श देता है।

B. मुख्यमंत्री

- राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है।

नोट - संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप-राजपाल करता है, किंतु दिल्ली तथा पुदुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

- मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
- मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है।
- 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा अंतः स्थापित अनुच्छेद 164 (1क) के अनुसार, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या (मुख्यमंत्री सहित) उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं (परंतु 12 से कम नहीं) होगी।
- अनुच्छेद 164(2) के अनुसार, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- अनुच्छेद 164(4) के अनुसार, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
- जब कभी किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्याग-पत्र देना होता है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है।
- अनुच्छेद 167 के अनुसार, मुख्यमंत्री प्रशासन एवं विधान संबंधी कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देता है।
- मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य सूचना आदान-प्रदान करने की कड़ी होता है।

18 राज्य विधायिका

संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168-212 तक राज्यों के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और राज्य विधानमंडल के सदन (विधानसभा) अथवा दो सदनों (विधानसभा और विधान परिषद) से मिलकर होता है।

A. विधान परिषद (Legislative Council)

- अनुच्छेद 169 के अनुसार, संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। यदि संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा इस संबंध में संकल्प को विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाए।
- अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों के गठन का प्रावधान किया गया है।
- वर्तमान में छः (31 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी) राज्यों- आंध्र प्रदेश (58), उत्तर प्रदेश (100), कर्नाटक (75), तेलंगाना (40), बिहार (75) और महाराष्ट्र (78) में विधान परिषदें हैं।
- विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है।
- विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं हो सकती है।
- विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है।
- विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है।
- विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु प्रत्येक दूसरे वर्ष एक-तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करके अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नवीन सदस्य निर्वाचित होते हैं।
- अनुच्छेद 171(4) के अनुसार, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
- विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकाय के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/12 सदस्य माध्यमिक अथवा उससे उच्च विद्यालयों में कम-से-कम 3 वर्ष से शिक्षण कार्य करने वाले अध्यापकों द्वारा, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक की उपाधि धारण करने वाले स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन एवं समाज सेवा में विशेष अनुभव रखते हैं।
- विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं।
- विधान परिषद सभापति और उपसभापति एक-दूसरे को संबोधित करके अपना पद त्याग सकते हैं।
- सभापति और उपसभापति को विधान परिषद सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके उनके पद से हटाया जा सकता है, परंतु इस आशय की लिखित सूचना सदन द्वारा 14 दिन पूर्व उन्हें देनी होगी।

B. विधानसभा (Legislative Assembly)

- अनुच्छेद 168 के अनुसार, राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा।
- प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है।
- विधानसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है।
- अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख किया गया है।
- अनुच्छेद 170(2) के अनुसार, प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो।
- 87वें (संविधान संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है।
- विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
- विशेष स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को 5 वर्ष पूर्व भी भंग कर सकता है।
- विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होती है।
- विधानसभा सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
- प्रत्येक राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं।

> **नोट** - अपवादस्वरूप गोवा और मिजोरम में 40 तथा सिक्किम में 32 विधानसभा सदस्य संख्या निर्धारित है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में विधानसभा सदस्यों की संख्या

राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश	विधानसभा सदस्य	सामान्य जाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
आंध्र प्रदेश	175	139	29	7
तेलंगाना	119	88	19	12
अरुणाचल प्रदेश	60	1	-	59
असम	126	102	8	16
बिहार	243	203	38	2
छत्तीसगढ़	90	51	10	29
गोवा	40	39	1	-
गुजरात	182	142	13	27
हरियाणा	90	73	17	-
हिमाचल प्रदेश	68	48	17	3
झारखंड	81	44	9	28
कर्नाटक	224	173	36	15
केरल	140	124	14	2
मध्य प्रदेश	230	148	35	47
महाराष्ट्र	288	234	29	25
मणिपुर	60	40	1	19
मेघालय	60	5	-	55
मिजोरम	40	1	-	39
नगालैंड	60	1	-	59

ओडिशा	147	90	24	33
पंजाब	117	83	34	-
राजस्थान	200	141	34	25
सिक्किम **	32**	18	2	12
तमिलनाडु	234	188	44	2
त्रिपुरा	60	30	10	20
उत्तर प्रदेश	403	317	84	2
उत्तराखंड	70	55	13	2
पश्चिम बंगाल	294	210	68	16
कुल	**3933**	**2787**	**590**	**556**
केंद्रशासित प्रदेश				
जम्मू एवं कश्मीर	90	74	7	9
दिल्ली	70	58	12	-
पुदुचेरी***	30	25	5	-
कुल	**4123**	**2945**	**613**	**565**

- ** 1 सीट संघ (बौद्ध भिक्षुओं) के लिए आरक्षित है।
- *** 3 सीटें मनोनीत (केंद्र सरकार द्वारा)

- विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं।
- कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है।
- विधानसभा अध्यक्ष सदन में किसी विषय पर सामान्यतया मतदान नहीं करता है, परंतु मत बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत (Casting Vote) देता है।
- विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक-दूसरे को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं।
- अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना 14 दिन पूर्व उन्हें देनी होगी।
- विधानसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 है।

विधानमंडल के कार्य और शक्तियां

- विधानमंडल को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।
- विधानमंडल को समवर्ती सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- परंतु इस कानून का संसद द्वारा निर्मित कानून से विरोधाभास होने पर संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संबंधित राज्य के वित्त मंत्री द्वारा राज्य का वार्षिक लेखा-जोखा विधानमंडल के सम्मुख सदन के पटल पर रखा जाता है।

  धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है।

  धन विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात ही विधान परिषद में उसकी सिफारिश के लिए भेजा जाता है।

  यदि विधान परिषद द्वारा कोई धन विधेयक 14 दिन के भीतर विधानसभा को वापस नहीं किया जाता है, तो उस धन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है और उसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है।
- विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं।
- विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है।

19 भारत के राष्ट्रीय चिह्न

राष्ट्रीय प्रतीक

- सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया।
- इसके निचले भाग पर 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद् से लिया गया है।

राष्ट्रगान

- 'जन-गण-मन' को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी, 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया।
- इसके रचयिता गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर हैं।
- इसको गाने का समय 52 सेकंड निर्धारित किया गया है, जबकि संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है।
- इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष बिशन नारायण दार थे।

राष्ट्रगीत

- 'वंदे मातरम्' को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी, 1950 को स्वीकार किया गया।
- इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास 'आनंदमठ' से लिया गया है।
- इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्ला एम. सयानी थे।

राष्ट्रीय ध्वज

- पिंगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया।
- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तीन रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है।
- राष्ट्रध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया था।
- तिरंगे में शामिल केसरिया रंग साहस तथा शौर्य का प्रतीक, सफेद रंग धर्मचक्र के साथ शांति एवं सत्य का एवं हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है।
- सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तीलियों वाला चक्र है, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है।
- ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है।

राष्ट्रीय कैलेंडर

- ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ-साथ शक संवत् पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च, 1957 को अपनाया गया था।
- इसका पहला महीना चैत्र है और अंतिम माह फाल्गुन होता है।
- चैत्र माह सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर (Leap Year) में 21 मार्च को शुरू होता है।

- भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस) को घोषित किया गया है।
- मोर (पावो क्रिस्टेटस) को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है।
- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है।

- राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन (सूंस) को मान्यता प्रदान की गई है।
- हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है।

➢ 'कमल' को राष्ट्रीय पुष्प, 'आम' को राष्ट्रीय फल तथा 'बरगद' को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है।

- केंद्र सरकार द्वारा राज्य सभा में दिए गए उत्तर के अनुसार, इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

20 पंचायती राज

'पंचायती राज' से तात्पर्य स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। भारतीय संविधान के नीति - निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।

➢ 73वें संविधान संशोधन, 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243ण तक तथा ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है।

➢ सर्वप्रथम 2 अक्टूबर,1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था।

➢ आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था, जहां 11 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया।

➢ 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रि-स्तरीय ढांचे (ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद) के गठन की व्यवस्था की गई है।

➢ ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, को खंड स्तर पर (माध्यमिक स्तर पर) पंचायत का गठन न करने की छूट है।

पंचायती राज से संबंधित समितियां		
1.	बलवंत राय मेहता समिति	1957
2.	अशोक मेहता समिति	1977
3.	जी.वी.के. राव समिति	1985
4.	एल.एम. सिंघवी समिति	1986
5.	पी.के. थुंगन समिति	1988

➢ महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था है।

➢ पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा।

➢ ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषयों पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

➢ मेघालय, मिजोरम, नगालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है।

- इन राज्यों में एक-स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है।

➢ 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है।

➢ अनुच्छेद 243घ (3) के अनुसार, पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243न (3) के तहत नगरपालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण प्रदान किया गया है।

21 नगरपालिकाएं

➢ 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9क, 18 नए अनुच्छेद (243त से 243यछ तक) तथा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है।

➢ 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिनका उत्तरदायित्व नगरपालिकाओं को सौंपा गया है।

➢ इसमें नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

➢ नगरपालिका मुख्यतः तीन प्रकार की हैं—नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद तथा नगर निगम।

➢ नगरपालिकाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

➢ सर्वप्रथम 1688 ई. में मद्रास में नगर निगम की स्थापना की गई थी।

➢ लॉर्ड रिपन को भारत में 'स्थानीय स्वशासन का पिता' कहा जाता है।

22 केंद्र - राज्य संबंध

➢ भारतीय संविधान के तहत केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय क्षेत्र में किया गया है।

➢ केंद्र, राज्य संबंधों को तीन दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है - 1. विधायी संबंध, 2. प्रशासनिक संबंध, 3. वित्तीय संबंध

1. विधायी संबंध -

➢ भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र-राज्य के विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है।

➢ अनुच्छेद 245(1) के अनुसार, संसद भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधानमंडल संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा।

➢ संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित तीन सूचियों 1. संघ सूची, 2. राज्य सूची तथा 3. समवर्ती सूची का उल्लेख है।

➢ **संघ सूची**—इसमें ऐसे विषय शामिल हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इस सूची में मूलतः 97 विषय (वर्तमान 98) हैं; जिनमें रक्षा, डाक, संचार, बैंक, विदेश व्यापार, विदेशी मामले, रेल, वायु एवं जल परिवहन, नागरिकता आदि प्रमुख हैं।

➢ **राज्य सूची**—इसमें ऐसे विषय शामिल हैं, जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को है। इस सूची में मूलतः 66 (वर्तमान में 59) विषय शामिल हैं। इसमें कृषि, कारागार, भू - राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्वास्थ्य, स्थानीय शासन आदि विषय हैं।

➢ **समवर्ती सूची**—इस सूची में शामिल विषयों पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दोनों कानूनों में गतिरोध होने पर केंद्र द्वारा निर्मित कानून मान्य होगा। इसमें मूलतः 47 (वर्तमान 52) विषय शामिल हैं, जिनमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक योजनाएं आदि शामिल हैं।

➢ अनुच्छेद 247 के तहत संसद को अधिकार है कि वह संघ सूची के विषय से संबंधित विधि के संदर्भ में अधिक अच्छे प्रशासन हेतु कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकती है।

➢ इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सूची में वे विषय शामिल होते हैं, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते। इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है।

- संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार, अवशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई हैं।
- **राज्य सूची के विषयों पर संसद की शक्ति -** अनुच्छेद 249 के तहत यदि राज्य सभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर दे, तो संसद उस पर विधि बना सकती है, परंतु इस प्रकार की विधि मात्र एक वर्ष तक प्रभावी रहती है (लेकिन इस विधि को एक वर्ष के बाद भी अनेक बार बढ़ाया जा सकता है)।
- अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपात के समय संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- अनुच्छेद 251 के अनुसार, यदि संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति पाई जाती है, तो संसद द्वारा निर्मित विधि प्रभावी होगी।
- अनुच्छेद 252 के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना उल्लिखित है।
- अनुच्छेद 253 के तहत, संसद को अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए भारत के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।

2. प्रशासनिक संबंध -

- भारतीय संविधान के भाग 11 के अंतर्गत ही अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है।
- अनुच्छेद 256 के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, जिससे संसद द्वारा निर्मित विधियों का अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक होगा, जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
- अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है।
- इस अनुच्छेद के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा, जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग प्रभावित न हो और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा, जो भारत सरकार को इस प्रयोजन हेतु आवश्यक प्रतीत हो।
- अनुच्छेद 258 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे किसी विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त, सौंप सकेगा।
- अनुच्छेद 258 क के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार की सहमति से उस सरकार को या उसके अधिकारियों को ऐसे विषय से संबंधित कृत्य, जिन पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा।
- अनुच्छेद 262 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य अंतरराज्यीय नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवादों के निपटारे से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है।
- इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है।
- इसकी स्थापना पहली बार वर्ष 1990 में हुई थी।
- प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री, सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक इसके सदस्य होते हैं।
- इस परिषद की अब तक 11 बैठकें हो चुकी हैं। इसकी बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है।

3. वित्तीय संबंध -

- भारतीय संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 268 से 281 तक केंद्र - राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का प्रावधान किया गया है।
- अनुच्छेद 265 के अनुसार, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संगृहीत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि की व्यवस्था है।
- इस निधि से संसद की अनुमति के बाद ही धन की निकासी की जा सकती है।
- राष्ट्रपति, समेत कई अन्य पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते संचित निधि पर ही भारित होते हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार, एक आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है।
- राष्ट्रपति की अनुमति से विशेष परिस्थितियों में इस निधि से निकासी की जा सकती है।
- अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून, 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था।
  - बी. शिवरामन तथा एस.आर. सेन इसके अन्य दो सदस्य थे।
  - इस आयोग ने जनवरी, 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
- केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधित अन्य आयोगों/समितियों में राजमन्नार समिति (1969) तथा पुंछी आयोग (2007) शामिल हैं।

23 नीति आयोग

- 1 जनवरी, 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नीति (NITI-National Institution for Transforming India) आयोग की स्थापना की गई।
- नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च, 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा की गई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे।
- नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है।
- नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे।
- वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं।
- यह आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विषय पर परामर्श देता है।

24 राष्ट्रीय विकास परिषद

- इसकी स्थापना 6 अगस्त, 1952 को सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी।
- राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र और राज्यों के मध्य सेतु का कार्य करता है।
- इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं।

25 वित्त आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है।
- इसका प्रमुख कार्य केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना है।
- राष्ट्रपति द्वारा इसके एक अध्यक्ष तथा चार अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
- वर्ष 1951 में गठित पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे।
- चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई.वी. रेड्डी थे।
- 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष एन.के. सिंह को नियुक्त किया गया है।

वित्त आयोग	नियुक्ति वर्ष	अध्यक्ष	कार्यकाल
पहला	1951	के.सी. नियोगी	1952 - 57
दूसरा	1956	के. संथानम	1957 - 62
तीसरा	1960	ए.के. चंदा	1962 - 66
चौथा	1964	पी.वी. राजमन्नार	1966 - 69
पांचवां	1968	महावीर त्यागी	1969 - 74
छठा	1972	के. ब्रह्मनंद रेड्डी	1974 - 79
सातवां	1977	जे.एम. सेलट	1979 - 84
आठवां	1982	वाई.बी. चौहान	1984 - 89
नौवां	1987	एन.के.पी. साल्वे	1989 - 1995
दसवां	1992	के.सी. पंत	1995 - 2000
ग्यारहवां	1998	ए.एम. खुसरो	2000 - 2005
बारहवां	2002	सी. रंगराजन	2005 - 2010
तेरहवां	2007	विजय एल. केलकर	2010 - 2015
चौदहवां	2013	वाई. वी. रेड्डी	2015 - 2020
पंद्रहवां	2017	एन.के. सिंह	2021 - 2026

26 लोक सेवा आयोग

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या के निर्धारण की शक्ति राष्ट्रपति को है।
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो, होता है।
- लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो, होता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति उसी आधार पर हटा सकता है, जिन पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जाता है।
- अनुच्छेद 315(2) के तहत दो या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग की व्यवस्था की गई है।
- संयुक्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।

27 निर्वाचन आयोग

- संविधान के भाग 15 के तहत (अनुच्छेद 324 से 329 तक) निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
- निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो अन्य निर्वाचन आयुक्त (वर्तमान में तीन) होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है, जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।
- अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।
- अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की होती है।

> **नोट** - राज्यों में होने वाले पंचायतों व नगरपालिकाओं चुनावों की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोगों की होती है।

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भारत की संचित निधि से वेतन व भत्ते दिए जाते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु में, जो भी पहले पूरा हो, होता है।
- निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
- मतदाता सूचियों को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, चुनाव-चिह्न आवंटित करना, चुनाव करवाना आदि निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य हैं।
- भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।
- अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है।

> **नोट** - 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

➢ वर्तमान में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 है।

राष्ट्रीय दल	चुनाव-चिह्न
1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)	हाथ का पंजा
2. भारतीय जनता पार्टी (BJP)	कमल का फूल
3. बहुजन समाज पार्टी (BSP)	हाथी (असम को छोड़कर)
4. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)	हंसिया और बाली
5. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)]	हंसिया, हथौड़ा और तारा
6. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)	घड़ी
7. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (AITC)	जोड़ा फूल
8. नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)*	पुस्तक
* (7 जून, 2019 को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्रदान की गई।)	

नोट - (i) भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं।
(ii) भारत की एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रमादेवी थीं, जिनका कार्यकाल 26 नवंबर से 11 दिसंबर, 1990 तक था।

28 अस्थायी विशेष उपबंध

➢ संविधान के भाग 21 के तहत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है।

नोट - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370(1) के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 370(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राष्ट्रपति ने संसद की संस्तुति से घोषणा किया कि 6 अगस्त, 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी प्रावधान प्रवर्तन में नहीं रहेंगे, निम्नलिखित प्रावधानों को छोड़कर नामतः ''370 : समय-समय पर यथासंशोधित संविधान के सभी उपबंध जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे.............।''

➢ ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 370 के तहत मूलतः जम्मू - कश्मीर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध थे।

➢ अनुच्छेद 371 के तहत कुछ अन्य राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आदि) के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

अनुच्छेद	विवरण
370*	जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध (अब निरस्त)
371	महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध
371 क	नगालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
371 ख	असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
371 ग	मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
371 घ	आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
371 ङ	आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना
371 च	सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
371 छ	मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
371 ज	अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
371 झ	गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
371 ञ	कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध
* 6 अगस्त, 2019 से प्रवर्तन में नहीं	

29 प्रमुख संशोधन

➢ कोई भी संविधान कितना भी सोच समझकर क्यों न बनाया जाए, उसमें समय, काल एवं परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने ही पड़ते हैं।

➢ भारतीय संविधान नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है।

➢ भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है।

➢ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन से संबंधित निम्न दो प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है।

A. **विशेष बहुमत द्वारा**—संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित विधेयक।

B. **संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन**—संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। जैसे—राष्ट्रपति का निर्वाचन, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघीय न्यायपालिका एवं उच्च न्यायालय आदि से संबंधित विषयों में इसके तहत संशोधन किया जाता है।

नोट - उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त संसद संविधान के कुछ उपबंधों को विधान बनाने के सामान्य प्रक्रिया (साधारण बहुमत द्वारा) से बदल सकती है, परंतु इसे संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। जैसे—नए राज्यों का निर्माण, राज्यक्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन आदि।

➢ संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

➢ संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है।

प्रमुख संशोधन

➢ **प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951**—संविधान में नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस अनुसूची में उल्लिखित विषयों को सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बाहर रखा गया।

➢ **7वां संशोधन अधिनियम, 1956**—इसके द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया तथा पहले की चार श्रेणियों (क, ख, ग एवं घ) को समाप्त कर 14 राज्यों एवं 6 केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया।

➢ **10वां संशोधन अधिनियम, 1961**—दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया।

➢ **11वां संशोधन अधिनियम, 1961**—राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- **12वां संशोधन अधिनियम, 1962**—गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल।
- **13वां संशोधन अधिनियम, 1962**—इसके तहत नगालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किए गए।
- **14वां संशोधन अधिनियम, 1962**—पुदुचेरी भारतीय संघ में शामिल। संविधान में अनुच्छेद 239 क को जोड़कर गोवा, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी के लिए विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करने की शक्ति संसद को दी गई।
- **21वां संशोधन अधिनियम, 1967**—सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।
- **24वां संशोधन अधिनियम, 1971**—संसद संविधान के किसी भी हिस्से में (मूल अधिकार में भी) संशोधन कर सकती है।
- **31वां संशोधन अधिनियम, 1973**—लोक सभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया।
- **36वां संशोधन अधिनियम, 1975**—भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
- **42वां संशोधन अधिनियम, 1976**—इसके द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' तथा 'अखंडता' शब्द जोड़े गए।
- भाग 4क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया।
- राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया।
- **44वां संशोधन अधिनियम, 1978**—राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजने की शक्ति प्रदान की गई।
- राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में 'आंतरिक अशांति' शब्द के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखा गया।
- संपत्ति के अधिकार को प्राप्त मूल अधिकार का दर्जा समाप्त कर, इसे विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया।
- राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता।
- **52वां संशोधन अधिनियम, 1985**—इसके तहत संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल-बदल के मामले में अयोग्य घोषित करने की व्यवस्था है। इसके लिए दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया।
- **58वां संशोधन अधिनियम, 1987**—संविधान का प्राधिकृत पाठ हिंदी भाषा में उपलब्ध कराया गया।
- **61वां संशोधन अधिनियम, 1988**—नागरिकों के मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया।
- **69वां संशोधन अधिनियम, 1991**—संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा की व्यवस्था की गई।
- **70वां संशोधन अधिनियम, 1992**—राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया।
- **71वां संशोधन अधिनियम, 1992**— कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- **73वां संशोधन अधिनियम, 1992**—संविधान में भाग-9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- **74वां संशोधन अधिनियम, 1992**—संविधान में भाग 9क तथा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
- इसके द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया।
- **84वां संशोधन अधिनियम, 2001**—लोक सभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक रोक।
- **86वां संशोधन अधिनियम, 2002**— शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया।
- अनुच्छेद 21क के तहत व्यवस्था की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा।
- अनुच्छेद 51क के तहत इसी से संबंधित 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।
- अनुच्छेद 45 की विषय-वस्तु बदली गई, जिसके तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा।
- **91वां संशोधन अधिनियम, 2003**—इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, जो कि लोक सभा के कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
- राज्य मंत्रिपरिषद भी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी किंतु इसकी कुल संख्या 12 से कम नहीं हो सकती।
- **92वां संशोधन अधिनियम, 2003**—बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं की कुल संख्या 22 हो गई है।
- **97वां संशोधन अधिनियम, 2011**—सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार बन गया।
- 'सहकारी समितियां' नाम का नया भाग 9ख जोड़ा गया।
- **100वां संशोधन अधिनियम, 2015**—यह भारत तथा बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है।
- **101वां संशोधन अधिनियम, 2016**—इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं।
- **102वां संशोधन अधिनियम, 2018**—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा।
- **103वां संशोधन अधिनियम, 2019**—सामान्य वर्ग के गरीबों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था।
- **104वां संशोधन अधिनियम, 2019**—लोक सभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोक सभा एवं राज्य विधानसभा में नाम-निर्देशन द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन।
- **105वां संशोधन अधिनियम, 2021**—यह अधिनियम सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान करने एवं निर्दिष्ट करने हेतु राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है।

भारत का इतिहास
(Indian History)

शामिल विषय (Topic)

A. प्राचीन भारत का इतिहास

● प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत ● इतिहास का विभाजन ● ताम्र-पाषाण काल ● वैदिक सभ्यता ● छठी शताब्दी ई.पू. में धार्मिक आंदोलन ● मगध राज्य का उत्कर्ष ● भारत में विदेशी आक्रमण ● गुप्त साम्राज्य ● वाकाटक राजवंश ● वर्धन वंश ● दक्षिण भारत का इतिहास ● पूर्व मध्यकाल ● सीमावर्ती राज्य।

B. मध्यकालीन भारत का इतिहास

● अरबों का आक्रमण ● सल्तनत काल (1206-1526 ई.) ● खिलजी वंश (1290-1320 ई.) ● तुगलक वंश (1320-1412 ई.) ● सैय्यद वंश (1414-1451 ई.) ● लोदी वंश (1451-1526 ई.) ● दिल्ली सल्तनत - शासन व्यवस्था ● विजयनगर साम्राज्य ● बहमनी राज्य ● स्वतंत्र प्रांतीय राज्य ● भक्ति आंदोलन ● मुगल साम्राज्य ● मुगल शासन व्यवस्था ● मराठों का उत्कर्ष।

C. आधुनिक भारत का इतिहास

● मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन ● यूरोपीय कंपनियों का आगमन ● बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय ● पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य और आंग्ल-मराठा संघर्ष ● सिख एवं अंग्रेज संबंध ● 1857 की क्रांति ● धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ● भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन ● भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं ● ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास ● महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएं एवं पुस्तकें ● ब्रिटिश कालीन आयोग/समितियां ● कांग्रेस अधिवेशन और उनके प्रमुख तथ्य ● भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण तथ्य ● भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं ● भारत के गवर्नर/गवर्नर जनरल/वायसराय एवं उनके महत्वपूर्ण कार्य ● वर्ष 1947 से 1964 तक का इतिहास ● अन्य प्रमुख ऐतिहासिक तथ्य।

D. विश्व इतिहास

● पुनर्जागरण ● अमेरिकी क्रांति अथवा स्वतंत्रता संग्राम ● फ्रांस की क्रांति ● इटली का एकीकरण ● जर्मनी का एकीकरण ● रूसी क्रांति ● औद्योगिक क्रांति ● प्रथम विश्व युद्ध ● जर्मनी में राष्ट्रवाद, नाजीवाद ● इटली में फासिज्म का उदय ● जापानी साम्राज्यवाद ● द्वितीय विश्व युद्ध ● तुर्की।

इतिहास

इतिहास शब्द 'इति + ह + आस' से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है-'यह निश्चय था'। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए 'हिस्तरी' (History) शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 'बुनना'। हिस्ट्री (History) शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक 'हिस्टोरिका' में किया था। इसलिए **हेरोडोटस को 'इतिहास का जनक'** माना जाता है।

अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को तीन भागों- A. प्राचीन काल, B. मध्यकाल और C. आधुनिक काल में बांटा गया है।

A प्राचीन भारत का इतिहास

1. प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत

➢ प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्यत: दो स्रोत हैं -

i. साहित्यिक स्रोत (देशी और विदेशी साहित्य)

ii. पुरातात्विक स्रोत

➢ साहित्यिक स्रोतों को पुन: दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -

i. धार्मिक साहित्य

ii. धर्मेत्तर अथवा लौकिक साहित्य

➢ धार्मिक साहित्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -

i. ब्राह्मण ग्रंथ/साहित्य

ii. गैर-ब्राह्मण/ब्राह्मणेत्तर साहित्य

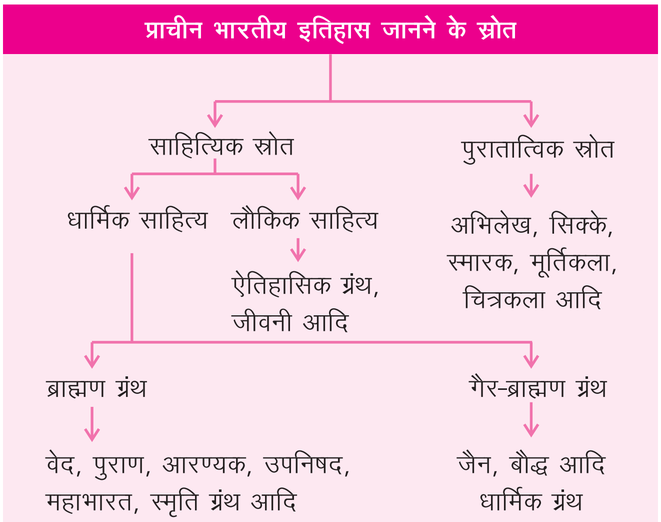

i. ब्राह्मण साहित्य

➢ ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

वेद

➢ ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं।

➢ वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है।

- वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है।
- वेदों की संख्या चार है।
- वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है।
- ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को 'वेदत्रयी' के नाम से जाना जाता है।
- ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है।
- यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है।
- कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं।
- सामवेद की अधिकांश ऋचाएं ऋग्वेद से ली गई हैं।

ब्राह्मण ग्रंथ

- ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है।
- ब्रह्म का अर्थ है- यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ 'ब्राह्मण' कहलाते हैं।
- प्रत्येक वेद के लिए अलग-अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं।

आरण्यक

- महाभारत में आरण्यकों को वेदों का सार कहा गया है।
- आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग हैं, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है।
- जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें 'आरण्यक' कहा जाता है।
- कुल सात आरण्यक उपलब्ध हैं।

उपनिषद

- 'उप' का अर्थ है 'समीप', 'नि' का अर्थ 'निष्ठापूर्वक' और 'सद' का अर्थ है 'बैठना'। अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, उसे 'उपनिषद' कहते हैं।
- वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें 'वेदांत' भी कहा जाता है।
- उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है।
- उपनिषदों की संख्या 108 है।
- उपनिषद गद्य शैली के प्राचीनतम उदाहरण हैं।
- सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है और सबसे छोटा उपनिषद माण्डूक्योपनिषद है।
- वेदांगों का प्राचीनतम उल्लेख 'मुण्डकोपनिषद' में प्राप्त होता है।
- भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' मुण्डकोपनिषद से उद्धृत है।
- शंकराचार्य द्वारा 10 उपनिषदों हेतु भाष्य की रचना की गई है।

वेदांग

- वेदांग की संख्या छः है- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एवं छंद।

सूत्र

- वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन हुआ।
- सूत्र ग्रंथ 'कल्प' नामक वेदांग से निकले हैं।
- कल्प का वर्गीकरण तीन भागों में किया गया है-

1. श्रौत सूत्र - यज्ञ संबंधी नियम
2. गृह्य सूत्र - लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन
3. धर्म सूत्र - धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख

- धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है।
- प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं - मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि।
- मनु स्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक मानी जाती है।
- मनु स्मृति के भाष्यकार (टीकाकार) हैं- मेधातिथि, गोविंदराज, भारुचि एवं कुल्लूक भट्ट।
- याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार हैं- विश्वरूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्क।
- व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनी कृत 'अष्टाध्यायी' है।

पुराण

- सर्वप्रथम पुराण शब्द का उल्लेख 'अथर्ववेद' में हुआ है।
- पुराणों की संख्या 18 है।
- पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा थे।
- पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलियुग के राजाओं का विवरण मिलता है।
- मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है।

प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंश

पुराण	संबंधित वंश
विष्णु पुराण	मौर्य वंश
मत्स्य पुराण	आंध्र सातवाहन तथा शुंग वंश
वायु पुराण	गुप्त वंश

- छांदोग्य उपनिषद में पुराणों को पंचम वेद कहा गया है।
- स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है। इसमें 'श्री सत्यनारायण व्रत कथा' का उल्लेख मिलता है।
- अग्निपुराण को 'विश्वकोश' की संज्ञा दी जाती है।
- वाराह पुराण में 'मथुरा नगरी' और 'नचिकेता की कथा' का उल्लेख है।
- नारदीय पुराण में बौद्ध धर्म की कड़ी निंदा की गई है।
- गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन धर्मसूत्र है।
- इसमें आपदधर्म का उल्लेख मिलता है।

महाकाव्य

- वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में 'रामायण' और 'महाभारत' नामक दो महाकाव्य महत्वपूर्ण हैं।
- रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी।
- रामायण में कुल 7 कांड हैं, इसमें आरंभ में 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 24000 हो गए।
- इसलिए रामायण को चतुर्विंशति-साहस्त्री संहिता कहा गया है।
- इसमें बालकांड सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा किष्किंधाकांड है।
- महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी।
- महाभारत में एक लाख श्लोक हैं, जिसके कारण इसे 'शतसाहस्त्रसंहिता' कहा जाता है।
- महाकाव्यों से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है।

ii. ब्राह्मणेत्तर साहित्य

बौद्ध साहित्य

- सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ 'त्रिपिटक' है। इनके नाम हैं- सुत्तपिटक, विनयपिटक एवं अभिधम्मपिटक।
- सुत्तपिटक को बौद्ध धर्म का 'इनसाइक्लोपीडिया' भी कहा जाता है।
- जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं।
- प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पालि भाषा में हैं।
- दीपवंश एवं महावंश से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है।
- संस्कृत में लिखित महावस्तु एवं ललितविस्तार से महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है।

जैन साहित्य

- जैन साहित्य को 'आगम' कहा जाता है।
- भगवती सूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है।
- जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास 'कल्प सूत्र' से ज्ञात होता है।
- कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी।
- जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी।
- सबसे महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ हेमचंद्र कृत 'परिशिष्टपर्वन' है।
- जैन ग्रंथों का संकलन अंतिम रूप से छठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में हुआ।

लौकिक साहित्य

- लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्द्ध-ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी विवरण एवं जीवनियों को रखा जाता है।
- ऐतिहासिक रचनाओं में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है।
- 'अर्थशास्त्र' को भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है।
- अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीतिक ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है।
- इसके अतिरिक्त विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस, सोमदेव कृत कथासरित्सागर, क्षेमेंद्र कृत वृहत्कथामंजरी भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
- कल्हण द्वारा रचित 'राजतरंगिणी' से ग्यारहवीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है।

विदेशी यात्रियों का विवरण

A. यूनानी - रोमन लेखक

- टेसियस ईरान का राजवैद्य था।
- हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंधों का उल्लेख मिलता है।
- सिकंदर के समकालीन नियार्कस, आनेसिक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं।
- अरिस्टोबुलस ने 'हिस्ट्री ऑफ वॉर' नामक पुस्तक लिखी थी।
- सिकंदर के बाद के लेखकों में तीन राजदूतों-मेगस्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनीसियस उल्लेखनीय हैं।
- सेल्युकस निकेटर का राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था।
- मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक 'इंडिका' में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है।
- डाइमेकस सीरियन नरेश एन्टियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था।
- डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राजदरबार में आया था।
- टॉलेमी ने दूसरी शताब्दी में 'ज्योग्राफी' नामक पुस्तक लिखी।
- प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में 'नेचुरल हिस्ट्री' नामक पुस्तक लिखी।
- प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा है।
- कॉसमॉस ने 'क्रिश्चियन टोपोग्राफी' नामक पुस्तक लिखी थी।
- नेचुरल हिस्ट्री में पेड़-पौधों, खनिज पदार्थों, भारतीय पशुओं आदि का उल्लेख मिलता है।
- 'पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी' नामक पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है।
- इसका लेखक पहली शताब्दी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था।
- इसने उस समय के भारतीय बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है।
- 'पेरीप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी' को समुद्री यात्रियों के लिए गाइड बुक माना जाता था।

B. चीनी लेखक

- फाह्यान पांचवीं सदी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। उसने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है।
- ह्वेनसांग सातवीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था।
- वह भारत में 16 वर्षों तक रहा।
- 6 वर्षों तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया।
- ह्वेनसांग की भारत यात्रा का वृत्तांत 'सी-यू-की' नाम से जाना जाता है।
- ह्वेनसांग को 'प्रिंस ऑफ पिल्ग्रिम्स' अथवा 'यात्रियों का राजकुमार' कहा जाता है।
- इत्सिंग सातवीं सदी के अंत में भारत आया था।
- उसने विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालयों एवं भारतीयों की वेशभूषा तथा खान-पान आदि के विषय में लिखा है।
- मा-त्वान-लिन ने हर्ष के पूर्वी अभियानों तथा चाऊ-जू-कुआ ने चोल कालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है।
- चीनी यात्री सुंगयुन 518 ई. में भारत आया था।
- सप्ताह के सात दिनों का प्रथम उल्लेख 'एरण अभिलेख' में मिलता है।

C. अरबी लेखक

- अलबरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था।
- उसने 'तहकीक-ए-हिंद' अथवा 'किताब-उल-हिंद' नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति-रिवाज आदि का विस्तृत वर्णन है।
- अल्बरूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था।
- 9वीं सदी में भारत आने वाले अरबी यात्री सुलेमान ने पाल एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दशा का वर्णन किया है।
- बगदाद से भारत की यात्रा पर आने वाले अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी दी है।

D. अन्य विदेशी लेखक

- इब्नबतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत 'रेहला' है।
- यह 14वीं सदी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है।

➢ तारानाथ एक तिब्बती लेखक था।
- इसने 'कंग्यूर' तथा 'तंग्यूर' नामक ग्रंथ की रचना की।

➢ मार्कोपोलो 13वीं सदी के अंत में पाण्ड्य देश की यात्रा पर आया था।

पुरातात्विक स्रोत

➢ प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक सामग्रियां सर्वाधिक प्रामाणिक हैं।
- इसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां तथा चित्रकला आदि आते हैं।

A. अभिलेख

➢ सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ई.पू. का मिला है।

➢ बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य (अश्विन) वैदिक देवताओं का उल्लेख है।

➢ भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग तीसरी शताब्दी ई. पू. के हैं।

➢ मास्की, गुर्जरा, निट्टूर एवं उडेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है।

➢ अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में मिले हैं।

➢ यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर (विदिशा, मध्य प्रदेश) से प्राप्त गरुण स्तंभ लेख से द्वितीय शताब्दी ई.पू. में भारत में भागवत धर्म के विकसित होने के साक्ष्य मिले हैं।

➢ सौहगौरा स्तंभ लेख से सर्वप्रथम दुर्भिक्ष (अकाल) की जानकारी मिलती है।

➢ मंदसौर अभिलेख से रेशम बुनकर श्रेणियों का उल्लेख मिलता है।

➢ पर्सिपोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से पता चलता है कि ईरानी सम्राट दारा ने सिंधु नदी की घाटी पर अधिकार कर लिया था।

➢ सर्वप्रथम 1837 ई. में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था।

➢ अभिलेखों का अध्ययन 'इपीग्राफी' कहलाता है।

➢ सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ई. के भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है।

स्मरणीय अभिलेख	
अभिलेख	**शासक**
हाथीगुम्फा अभिलेख	कलिंग राजा खारवेल
जूनागढ़ (गिरनार) अभिलेख	रुद्रदामन
नासिक अभिलेख	गौतमी बलश्री
प्रयाग स्तंभ लेख	समुद्रगुप्त
मंदसौर अभिलेख	मालवा नरेश यशोवर्मन
एहोल अभिलेख	पुलकेशिन द्वितीय
ग्वालियर अभिलेख	प्रतिहार नरेश भोज
भितरी तथा जूनागढ़ अभिलेख	स्कंदगुप्त
देवपाड़ा अभिलेख	बंगाल शासक विजयसेन

B. सिक्के

➢ सिक्कों का अध्ययन 'न्यूमिस्मेटिक्स' कहलाता है।

➢ प्राचीन काल में सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए जाते थे।

➢ भारत के प्राचीनतम सिक्के 'आहत' सिक्के हैं, जो ई.पू. पांचवीं सदी के हैं।
- ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषाओं में इन्हें 'आहत' मुद्रा कहते हैं।

➢ सातवाहनों ने सीसे के तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए।

➢ सर्वप्रथम लेख वाले स्वर्ण सिक्के हिंद-यूनानी (इंडो-ग्रीक) शासकों ने चलाए।

C. मूर्तियां, स्मारक एवं भवन तथा चित्रकला

➢ भरहुत, बोधगया और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की सजीव झांकी मिलती है।

➢ महलों एवं मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है।

➢ दक्षिण-पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों तथा स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर प्रकाश पड़ता है।

➢ अजंता, एलोरा आदि के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है।

2. इतिहास का विभाजन

➢ प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे तीन भागों में बांटा है-

A. प्रागैतिहासिक काल B. आद्य-ऐतिहासिक काल
C. ऐतिहासिक काल

A. प्रागैतिहासिक काल

➢ इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

➢ मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार तीन भागों में बांटा गया है-

i. पुरापाषाण काल ii. मध्यपाषाण काल
iii. नवपाषाण काल

➢ प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए थे।

➢ पुरापाषाण काल को उपकरणों की भिन्नता के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है -

i. पूर्व पुरापाषाण काल ii. मध्य पुरापाषाण काल
iii. उच्च या उत्तर पुरापाषाण काल

➢ भीमबेटका के गुफा चित्र पुरापाषाण कालीन हैं।

➢ पहिए का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था।

➢ कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ।

➢ भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य 'लहुरादेव' से प्राप्त हुए हैं।

➢ मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज 'जौ' था।

➢ मानव द्वारा आग का सर्वप्रथम प्रयोग नवपाषाण काल में किया गया था।

- नवपाषाण युगीन प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान प्रांत के मेहरगढ़ में है।
- मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं।
- पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में हुआ।
- पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ (नर्मदापुरम, म.प्र.) तथा बागोर (भीलवाड़ा, राजस्थान) से प्राप्त हुए हैं।
- मध्यपाषाण कालीन महदहा (प्रतापगढ़, उ.प्र.) से हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं।
- मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्जहोम (जम्मू-कश्मीर) से प्राप्त हुआ।
- गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं।

B. आद्य ऐतिहासिक काल

- इस काल में लेखन कला का विकास तो हो चुका था, किंतु इस काल की लिपि को पढ़ने में अभी सफलता नहीं मिल सकी है।
- इस काल के इतिहास की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों स्रोत उपलब्ध हैं।
- हड़प्पा सभ्यता को इस काल में रखा जाता है।
- गैरिक एवं कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृति इसी काल से संबंधित हैं।

C. ऐतिहासिक काल

- इस काल की जानकारी हेतु साहित्यिक एवं पुरातात्विक तथा विदेशी लेखकों के वर्णन मुख्य स्रोत हैं।

3. ताम्र-पाषाण काल

- जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ-साथ प्रयोग किया, उस काल को 'ताम्र-पाषाणिक' काल अथवा 'कैल्कोलिथिक' काल कहा जाता है।
- सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग औजारों को बनाने में किया गया।
- भारत में ताम्र-पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी राजस्थान (अहाड़ एवं गिलुंद), पश्चिमी मध्य प्रदेश (मालवा, कायथा और एरण), पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी-पूर्वी भारत है।
- मालवा मृद्भाण्ड ताम्र-पाषाण मृद्भाण्डों में उत्कृष्टतम् माने गए हैं।
- जोर्वे स्थलों में सबसे बड़ा दैमाबाद है।
- अहाड़ का प्राचीन नाम 'ताम्बवती' अर्थात 'तांबावाली जगह' है।
- महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर से दक्षिण में रखकर घरों के फर्श के नीचे दफनाया जाता था।
- कायथा के मृद्भाण्डों पर प्राक्-हड़प्पन, हड़प्पन और हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है।
- सभी ताम्र-पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले व लाल मृद्भाण्डों का प्रयोग करते थे।
- सबसे बड़ी ताम्र निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है।

> **नोट** - मनुष्यों द्वारा क्रमशः तांबा, कांसा और लौह धातुओं का प्रयोग किया गया।

- ताम्रपाषाणकालीन स्थल नवदाटोली का उत्खनन एच.डी. सांकलिया ने कराया था।

सिंधु (हड़प्पा) सभ्यता

- सिंधु सभ्यता आद्य-ऐतिहासिक सभ्यता है।
- सिंधु सभ्यता का काल रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर 2300 ई.पू. से 1700 ई.पू. तक माना गया है।
- काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृद्भाण्ड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है।

> **नोट** - सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल हिण्डन नदी के किनारे आलमगीरपुर (जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश), पश्चिमी पुरास्थल दाश्क नदी के किनारे स्थित सुत्कागेनडोर (बलूचिस्तान), उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा (जम्मू-कश्मीर) तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद (जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र) है।

- सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।
- सिंधु सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार है।
- सिंधु सभ्यता से परिपक्व अवस्था में प्राप्त होने वाले बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा हैं।
- भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थलों का उत्खनन गुजरात में किया गया है।
- सिंधु वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी के विषय में जानकारी थी।
- हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता, जबकि बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि पशुओं का अंकन मिलता है।
- लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं।
- हरियाणा के बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है।
- सैंधव सभ्यता के विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
- राजस्थान के कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
- सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
- राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के पास स्थित है।
- रंगपुर (गुजरात) से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं।
- रंगपुर से प्राक्-हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर-हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं।
- सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की भी पूजा करते थे।
- इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है, जिस पर योगी की आकृति बनी है।
- उस योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा चित्रित किए गए हैं।
- योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके तीन मुख हैं।
- मार्शल महोदय ने इसे 'रुद्र शिव' से संबंधित किया है।
- सैंधव सभ्यता की सड़कें एक-दूसरे को समकोण पर काटती थीं।
- लोथल की खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने की थी।

- लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है (नगर विन्यास के आधार पर)। यहां से फारस की मुद्रा भी मिली है।
- राखीगढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है।

> **नोट-** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब (पाकिस्तान) के तत्कालीन मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का उत्खनन करवाया।

- वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया।
- मोहनजोदड़ो (मुअन-जो-दारो) का शाब्दिक अर्थ है - 'मृतकों का टीला'।
- वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया।
- सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के उत्पादन के प्रमाण मिले हैं।
- मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है।
- मोहनजोदड़ो से कूबड़ वाले बैल की आकृति वाली मुहरें प्राप्त हुई हैं।
- सिंधु सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक शृंगी पशु का है, उसके बाद कूबड़ वाले बैल का अंकन है।
- मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसका आकार $10.5 \times 5 \times 2.5$ सेमी. है।
- मोहनजोदड़ो से पुजारी की धड़ वाली मूर्ति प्राप्त हुई है।
- मोहनजोदड़ो से अन्नागार प्राप्त हुआ है। संभवत: यह सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है।
- कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है।
- वक्राकार ईंटें चन्हूदड़ो से मिली हैं।
- लोथल एवं कालीबंगा से अग्निकुण्ड प्राप्त हुए हैं।
- मोहनजोदड़ो से एक वृहदस्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके मध्य स्थित स्नानकुंड की लंबाई 11.88 मी., चौड़ाई 7.01 मी. एवं गहराई 2.43 मी. है।
- लोथल एवं चन्हूदड़ो से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं।
- सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है।
- सिंधु सभ्यता के वासियों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई।
- घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गली की ओर खुलते थे।
- लोथल मात्र ऐसा नगर था, जिसके घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे।
- सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थे।
- रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है।
- तौल की इकाई संभवत: 16 के अनुपात में थी।
- सैंधववासी यातायात के लिए दो व चार पहियों वाले बैलगाड़ी या भैंसागाड़ी का प्रयोग करते थे।
- मेसोपोटामिया के अभिलेखों में 'मेलुहा' शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका आशय सिंधु सभ्यता से ही है।
- हड़प्पा संस्कृति का शासन संभवत: वणिक वर्ग के हाथों में था।

> **नोट -** पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है।

- सिंधु सभ्यता वासी मातृ देवी को 'उर्वरता की देवी' के रूप में पूजते थे।
- मातृदेवी पूजा, नाग पूजा, वृक्ष पूजा एवं जल पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं।
- स्वास्तिक चिह्न हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित था। इस चिह्न से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है।
- सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं।
- मातृदेवी की पूजा सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित थी।
- पशुओं में कूबड़ वाला सांड़ इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था।
- स्त्री मृण्मूर्तियां अधिक संख्या में मिलने के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था।
- सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे।
- सिंधु सभ्यता में मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार, पशु-पक्षियों की लड़ाइयां, चौपड़ और पासा खेलना आदि थे।
- कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसके दोनों टीले रक्षा प्राचीरों से घिरे हुए थे।
- शवों को जलाने एवं गाड़ने की प्रथाएं अंतिम संस्कार हेतु प्रचलित थीं।
- हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा प्रचलित थी।
- लोथल से तीन एवं कालीबंगा से एक युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं।
- सैंधव सभ्यता के विनाश हेतु जलवायु परिवर्तन (बाढ़ एवं सूखा) को मुख्य कारण माना जाता है।

सिंधु सभ्यता के पतन का कारण एवं उनके मानने वाले विद्वान

कारण	विद्वान
जलवायु परिवर्तन	ऑरेल स्टाइन
भूतात्विक परिवर्तन	एम.आर. साहनी
प्राकृतिक आपदा	कैनेडी
बाढ़	मैके एवं मार्शल
आर्यों का आक्रमण	गार्डन चाइल्ड एवं ह्वीलर
प्रशासनिक शिथिलता	जॉन मार्शल

हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर

नाम		नदी	नाम		नदी
हड़प्पा	-	रावी	मोहनजोदड़ो	-	सिंधु
रोपड़	-	सतलज	कालीबंगा	-	घग्गर
लोथल	-	भोगवा	सुत्कागेनडोर	-	दाश्क
सुत्काकोह	-	शादीकौर	आलमगीरपुर	-	हिण्डन
रंगपुर	-	भादर	कोटदीजी	-	सिंधु

कुणाल	-	सरस्वती	चन्हूदड़ो	-	सिंधु
बनावली	-	सरस्वती	मांडा	-	चिनाब
भगवानपुरा	-	सरस्वती	दैमाबाद	-	प्रवरा
आमरी	-	सिंधु	राखीगढ़ी	-	घग्गर

प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल

कच्चा माल	स्थल
तांबा	खेतड़ी (राजस्थान) एवं बलूचिस्तान
लाजवर्द	बदख्शां (अफगानिस्तान)
फिरोजा, टिन	ईरान
चांदी	राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान एवं ईरान
सीसा	अफगानिस्तान
शिलाजीत	हिमालय
गोमेद	गुजरात

सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति

स्थल	उत्खननकर्ता	वर्ष	वर्तमान स्थिति
1. हड़प्पा	दयाराम साहनी एवं माधोस्वरूप वत्स	1921 1926-27	शाहीवाल जनपद, पाकिस्तान
2. मोहनजोदड़ो	राखालदास बनर्जी	1922	लरकाना जनपद, सिंध प्रांत (पाकिस्तान)
3. चन्हूदड़ो	एन.जी. मजूमदार	1931	सिंध प्रांत (पाकिस्तान)
4. कालीबंगा	बी.बी.लाल एवं बी.के. थापर	1961-69	हनुमानगढ़, राजस्थान
5. कोटदीजी	फजल अहमद	1957-58	खैरपुर, सिंध प्रांत (पाकिस्तान)
6. रंगपुर	एस.आर. राव	1934-35	सुरेंद्रनगर, गुजरात
7. रोपड़	यज्ञदत्त शर्मा	1953-55	रूपनगर, पंजाब
8. लोथल	एस.आर. राव	1954-55	अहमदाबाद, गुजरात
9. आलमगीरपुर	यज्ञदत्त शर्मा	1958	मेरठ, उ.प्र.
10. सुत्कागेनडोर	ऑरेल स्टाइन, जॉर्ज डेल्स	1927- 1962	पाकिस्तान में मकरान समुद्र तट
11. बनावली	रवींद्र सिंह विष्ट	1974-77	फतेहाबाद, हरियाणा
12. धौलावीरा	जे.पी. जोशी रवीन्द्र सिंह विष्ट	1967-68 1990-91	कच्छ, गुजरात

4. वैदिक सभ्यता

➢ सिंधु सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ।

➢ वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया जाता है-

i. ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्ववैदिक काल - 1500-1000 ई.पू.

ii. उत्तर वैदिक काल - 1000 - 600 ई.पू.

i. ऋग्वैदिक काल (1500-1000 ई.पू.)

➢ वैदिक सभ्यता वासियों को 'आर्य' कहा जाता है।

➢ आर्यों का प्रसार अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था।

➢ 'आर्य' संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'श्रेष्ठ' या 'कुलीन' है।

➢ वैदिक कालीन सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी।

➢ आर्यों की भाषा संस्कृत थी।

➢ वैदिक सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत 'वेद' हैं।

➢ वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता का नामकरण 'वैदिक' युग कर दिया गया है।

➢ वेदों की संख्या चार है - ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद।

वेद, उपवेद और उनके पुरोहित

क्र.सं.	वेद	उपवेद	पुरोहित
1.	ऋग्वेद	आयुर्वेद	होता
2.	यजुर्वेद	धनुर्वेद	अध्वर्यु
3.	सामवेद	गंधर्व वेद	उद्गाता
4.	अथर्ववेद	शिल्प वेद	ब्रह्मा

➢ चारों वेदों को सम्मिलित रूप से 'संहिता' कहते हैं।

➢ वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ऋग्वेद है।

➢ ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई थी।

➢ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी।

➢ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को 'वेदत्रयी' कहा जाता है।

➢ 'वर्ण' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।

➢ ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं-कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

➢ प्रारंभ में तीन वर्णों का उल्लेख मिलता है- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य।

➢ ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम 'शूद्र' शब्द मिलता है।

➢ यहां चारों वर्णों की उत्पत्ति एक 'विराट पुरुष' के विभिन्न अंगों से बताई गई है।

➢ ऋग्वेद में ईश्वर महिमा (देवताओं की स्तुति), यजुर्वेद में कर्मकांड एवं सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख है।

➢ ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं।

➢ ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त और 10552 ऋचाएं हैं।

➢ पहला और दसवां मंडल नवीनतम है।

➢ ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं।

➢ प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में मिलता है।

➢ ऋग्वेद की अनेक बातें 'अवेस्ता' में मिलती हैं।

● अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है।

➢ ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को तथा 200 सूक्त अग्नि को समर्पित हैं।

➢ ऋग्वेद का नवां मंडल 'सोम' को समर्पित है।

➢ ऋग्वेद में सोम का 144 बार उल्लेख मिलता है।

➢ ऋग्वेद के नौवें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं।

➢ 'यज्ञ' संबंधी विधि-विधानों का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है।
➢ यजुर्वेद के दो भाग हैं- शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद।
➢ शुक्ल यजुर्वेद को 'वाजसनेयी संहिता' भी कहा जाता है।
➢ शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है तथा कृष्ण यजुर्वेद पद्य एवं गद्य दोनों में है।
➢ यजुर्वेद का अंतिम भाग 'ईशोपनिषद' है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है।
➢ सामवेद में कुल 1875 छंद हैं, जिनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं।
➢ सामवेद से ही भारतीय संगीत का जन्म हुआ।
➢ सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं हैं - 1. कौथुमा, 2. राणायनीय तथा 3. जैमिनीय।
➢ अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5,987 मंत्र हैं।
● इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र-मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं।
➢ आर्यों की प्रशासनिक इकाई कई भागों में विभक्त थी। ये थीं- कुल या गृह, ग्राम, विश तथा जन।
➢ ग्राम का मुखिया 'ग्रामणी', विश का प्रधान 'विशपति' एवं जन का शासक राजन कहलाता था।
➢ ऋग्वैदिक काल में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख राज्याधिकारी थे।
➢ रत्नियों की संख्या 12 थी- सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी, सूत, ग्रामिणी, क्षत्रि, संग्रहीता, भागदुध, अक्षवाप, पालागल और गोविकर्ता।
➢ रत्नी राज्याभिषेक के अवसर पर उपस्थित रहते थे।
➢ व्राजपति, गोचर भूमि का अधिकारी होता था।
➢ विदथ आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी।
➢ अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है।
➢ सभा वृद्ध (श्रेष्ठ) एवं अभिजात (सभ्रांत) लोगों की संस्था थी।
➢ समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था (सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा) थी।
➢ समिति राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखती थी।
➢ समिति के सभापति को 'ईशान' कहा जाता था।
➢ ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग लेती थीं।
➢ दाशराज्ञ युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है।
● यह युद्ध परुष्णी (रावी) नदी के तट पर सुदास एवं दस जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ।
➢ उपनिषद, दर्शन पर आधारित पुस्तक है।
➢ उपनिषदों को 'वेदांत' भी कहा जाता है।
➢ उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है।

वैदिक युगीन प्रमुख शब्दावलियां एवं अर्थ

क्र.सं.	शब्द	अर्थ
1.	अघन्या	वध न करने योग्य अर्थात गाय
2.	दिहित्ती	दूध दुहने वाली अर्थात पुत्री
3.	उर्वरा	जुते हुए खेत
4.	लांगल	हल
5.	वृक	बैल
6.	यव	जौ
7.	गोधूम	गेहूं
8.	हिरण्य या सुवर्ण	सोना
9.	करीष	गोबर की खाद
10.	बेकनाट	ऋण देकर ब्याज लेने वाला वर्ग
11.	तन्दुल	धान
12.	व्रीहि	चावल

➢ कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है।
➢ उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है।
➢ विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहणजाबालि, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे।
➢ वैदिक संहिताओं का सही क्रम - वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद।
➢ ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है।
➢ सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी।
➢ सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है।
➢ ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा (काबुल), क्रुमु (कुर्रम), गोमती (गोमल) एवं सुवास्तु (स्वात) नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं।
➢ आश्रम व्यवस्था (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास) का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ।
➢ छांदोग्य उपनिषद में केवल तीन आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है।
➢ 'वरुण' देवता को वैदिक सभ्यता में 'ऋत' (नैतिक व्यवस्था) का प्रधान माना जाता था।
➢ नैतिक व्यवस्था का प्रधान होने के कारण वरुण को 'ऋतस्यगोपा' भी कहा जाता था।
➢ बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था।
➢ वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, यथा - अपाला, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा आदि।
➢ लोपामुद्रा ऋषि अगस्त्य की पत्नी थीं।
➢ आर्यों का समाज पितृप्रधान था।
➢ समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे 'कुलप' कहा जाता था।
➢ स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेने की स्वतंत्रता थी।
➢ बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था।
➢ विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई (देवर) के साथ विवाह कर सकती थी। इसे 'नियोग प्रथा' कहा जाता था।
➢ आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को 'अमाजू' कहा जाता था।
➢ आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था।

- आर्य मुख्यत: तीन प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे- वास, अधिवास और नीवी।
- आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे- रथदौड़, घुड़दौड़, संगीत एवं द्यूतक्रीड़ा।
- पशुपालन एवं कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय था।
- आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था।
- आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे।
- ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे।
- उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है।
- लेन-देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी।
- ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों को वेकनाट (सूदखोर) कहा जाता था।
- व्यापार-वाणिज्य का कार्य 'पणि' वर्ग के लोग करते थे।
- अग्नि की पूजा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में की जाती थी।
- ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार और यमुना नदी का उल्लेख तीन बार हुआ।
- मुण्डकोपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है।
- भारत का आदर्श वाक्य (Motto) सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है।
- वैदिक काल में सोने के आभूषण या सिक्के को 'निष्क' कहा जाता था।
- शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।

वैदिक कालीन संहिता

वेद	ब्राह्मण	आरण्यक	उपनिषद
1. ऋग्वेद	ऐतरेय, कौषीतकि	ऐतरेय, कौषीतकि	ऐतरेय, कौषीतकि
2. सामवेद	ताण्डय, जैमिनीय	जैमिनीय, छांदोग्यारण्यक	छांदोग्य (सबसे प्राचीन) जैमिनीय
3. यजुर्वेद	तैत्तिरीय, शतपथ (सबसे बड़ा)	तैत्तिरीय, शतपथ	वृहदारण्यक, कठोपनिषद
4. अथर्ववेद	गोपथ	-	मुण्डकोपनिषद, माण्डुक्योपनिषद (सबसे छोटा)

- पुरुषमेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है।
- 'गोत्र' शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था।
- ऋग्वेद में उल्लिखित 'यव' शब्द का तादात्म्य 'जौ' से स्थापित किया गया है।
- ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी।
- ऐतरेय तथा कौषीतकि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
- जंगल की देवी को 'अरण्यानी' कहा जाता था।

ऋग्वैदिक कालीन नदियां

प्राचीन नाम		आधुनिक नाम	प्राचीन नाम		आधुनिक नाम
क्रुमु	-	कुर्रम	कुभा	-	काबुल
वितस्ता	-	झेलम	अस्किनी	-	चिनाब
परुष्णी	-	रावी	शतुद्रि	-	सतलज
विपाशा	-	व्यास	सदानीरा	-	गंडक
दृशद्वती	-	घग्गर	गोमती	-	गोमल
सुवास्तु	-	स्वात			

ऋग्वैदिक कालीन देवता

देवता		संबंध
इंद्र	-	युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता
अग्नि	-	देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ
वरुण	-	आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, जगत का नियंता, देवताओं का पोषक एवं ऋतु का नियामक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन-रात का कर्ता
द्यौ	-	आकाश का देवता
सोम	-	वनस्पति देवता
उषा	-	प्रगति एवं उत्थान की देवी
अश्विन	-	विपत्तियों को हरने वाले देवता
पूषन	-	पशुओं का देवता
विष्णु	-	विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता
मरुत	-	आंधी-तूफान का देवता
रुद्र	-	आसुरी शक्तियों का दमन करने वाला देवता

- शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा-उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन है।
- गोत्र प्रथा की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है।
- वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद-वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक 'उपाध्याय' कहलाता था।
- ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है।
- अथर्ववेद में राजा परीक्षित को ''मृत्युलोक का देवता'' कहा गया है।
- शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है।
- गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था यथा - ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ।
- वृहदारण्यक उपनिषद में 'गार्गी - याज्ञवल्क्य संवाद' का उल्लेख मिलता है।
- वैदिक काल में गाय को 'अघन्या' माना गया है।
- गृह्य सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है।
- गृह्य सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख मिलता है।

ii. उत्तर वैदिक काल (1000-600 ई.पू.)

- उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथों पर आधारित है।
- इस काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था।
- इस काल में वर्ण जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था।
- इस काल के लोग लोहे के हथियारों का प्रयोग करते थे।
- इस सभ्यता का विस्तार गंगा-यमुना दोआब तक विस्तारित हो गया था।
- उत्तर वैदिक काल में आजीविका का मुख्य आधार कृषि हो गया था।
- शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं - जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख हुआ है।
- काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है।
- चित्रित धूसर मृद्भाण्ड (Painted Greyware Potery) इस काल की विशिष्टता थी।
- कृषि और विविध शिल्पों में प्रगति के कारण उत्तर वैदिक कालीन लोग स्थायी निवास बनाने लगे।
- इस काल में हल को 'सिर' और हल रेखा को 'सीता' कहा जाता था।
- उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की इकाई 'निष्क' और 'शतमान' थीं।
- प्रजातांत्रिक संगठनों में सभा, समिति तो बनी रहीं, किंतु विदथ का अस्तित्व समाप्त हो गया।
- सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया।
- उत्तर वैदिक कालीन समाज स्पष्ट रूप से चार वर्णों में विभाजित हो गया था - ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र।
- उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई।
- शतपथ ब्राह्मण में इस काल की अनेक विदुषी महिलाओं जैसे- गार्गी, मैत्रेयी आदि का उल्लेख मिलता है।
- इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई।
- गोत्र का शाब्दिक अर्थ है- गोष्ठ या वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, लेकिन कालांतर में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय के अर्थ में यह शब्द रूढ़ हो गया।
- इंद्र और अग्नि का स्थान सृजन के देवता 'प्रजापति' ने ग्रहण कर लिया।
- पूषन जो पशुओं का रक्षक देवता था अब शूद्रों का देवता हो गया।
- उपनिषदों में स्पष्टतः यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है।
- वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई-

वेदांग		वेद के अंग	वेदांग		वेद के अंग
शिक्षा	-	नाक	कल्प	-	हाथ
निरुक्त	-	कान	व्याकरण	-	मुख
ज्योतिष	-	नेत्र	छंद	-	पांव

दिशा और उनके राजा

दिशा	उत्तर वैदिक शब्द	राजा का नाम
पूर्व	प्राची	सम्राट
पश्चिम	प्रतीच्य	स्वराट्
उत्तर	उदीच्य	विराट
मध्य	राज्य	राजा
दक्षिण	भोज्य	भोज

- काशी, कोशल, विदेह, मगध, अंग प्रमुख उत्तर वैदिक कालीन राज्य थे।
- शतपथ ब्राह्मण में कुरु और पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बताया गया है।
- उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी।
- उत्तर वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक तथा कर-व्यवस्था निश्चित हो गई थी।
- ऐतरेय ब्राह्मण में ''पुत्री को सभी दुःखों का मूल'' बताया गया है।
- मैत्रायणी संहिता में स्त्री की गणना जुआ और शराब के साथ की गई है।
- छांदोग्य उपनिषद में बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिलता है।

षड्दर्शन और उसके संस्थापक	
सांख्य दर्शन	कपिल
न्याय दर्शन	गौतम 'अक्षपाद'
योग दर्शन	पतंजलि
वैशेषिक	कणाद या उलूक
पूर्वमीमांसा	जैमिनी
उत्तर मीमांसा	बादरायण

- नव न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की युग प्रवर्तक कृति 'तत्व चिंतामणि' से हुआ।
- मीमांसा दर्शन के प्रखर विद्वान कुमारिल भट्ट थे, जिन्होंने अपने तर्कों से बौद्ध धर्म का खंडन किया था।

5. छठी शताब्दी ई.पू. में धार्मिक आंदोलन

A. बौद्ध धर्म

- बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे।
- इनका जन्म 563 ई.पू. कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन (रुम्मिनदेई) नामक स्थान पर हुआ था।
- गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
- इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम मायादेवी अथवा महामाया (कोलिय गणराज्य की कन्या) था।
- शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे।
- गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी।
- ● अतः इनका लालन-पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था।
- इनका विवाह 16 वर्ष की अल्पायु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा (अन्य नाम - गोपा, बिंबा) के साथ हुआ।
- गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था।
- सांसारिक दुःखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग कर दिया। इस घटना को 'महाभिनिष्क्रमण' कहा जाता है।
- गृहत्याग के पश्चात सिद्धार्थ ने वैशाली के आलारकलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की।

➢ इसके पश्चात सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की।
➢ राजगीर से असंतुष्ट होकर वे उरुवेला चले गए।
➢ उरुवेला में बिना अन्न, जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान (निर्वाण) की प्राप्ति हुई।
➢ ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ 'बुद्ध' कहलाए तथा जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान 'बोधगया' नाम से प्रसिद्ध हुआ।
➢ इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में 'धर्मचक्रप्रवर्तन' कहा गया है।
➢ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ (ऋषिपत्तनम्) में दिया।
➢ महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पालि में दिया।
➢ उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश कोशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए।
➢ इनके प्रमुख अनुयायी शासक- बिम्बिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे।
➢ प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को संघ मे प्रवेश की अनुमति दी थी।
➢ देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था, जो पहले उनका शिष्य फिर बाद में उनका विरोधी बन गया।
➢ कोशल नरेश प्रसेनजित ने परिवार सहित बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर 'पूर्वाराम' नामक विहार बनवाकर उन्हें दिया था।
➢ महात्मा बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी।
➢ कुशीनारा में चुंद नामक सुनार के यहां सुकरमद्दव खाने से महात्मा बुद्ध को अतिसार हो गया था, जो उनकी मृत्यु का कारण बना।
➢ 483 ई.पू. में कुशीनगर (अब पडरौना) जिले के 'कुशीनारा' नामक स्थान पर 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई।
● इस घटना को 'महापरिनिर्वाण' कहा जाता है।

बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक

घटना	-	प्रतीक
गर्भस्थ होना	-	हाथी
जन्म	-	कमल एवं सांड
गृहत्याग	-	घोड़ा
ज्ञान	-	पीपल (बोधि वृक्ष)
निर्वाण	-	पदचिह्न
महापरिनिर्वाण	-	स्तूप

➢ एक अनुश्रुति के अनुसार, मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को आठ भागों में बांटकर उन पर आठ स्तूपों का निर्माण कराया गया।
➢ बौद्ध धर्म के विषय में विस्तृत ज्ञान त्रिपिटक (विनयपिटक, सुत्तपिटक एवं अभिधम्मपिटक) से प्राप्त होता है।
➢ बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है।
● इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है।
➢ बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे-
a. **भिक्षुक** - बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, संन्यास ग्रहण करने वाले को 'भिक्षुक' कहा गया।
b. **उपासक** - गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को 'उपासक' कहा गया।
➢ बौद्ध संघ में प्रवेश लेने को 'उपसम्पदा' कहा जाता था।
➢ बुद्ध, धम्म और संघ को बौद्ध धर्म में 'त्रिरत्न' कहा गया है।
➢ चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों 'हीनयान' एवं 'महायान' में विभाजित हो गया।
➢ बुद्ध की भूमिस्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की शुचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है।
➢ बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे 'बुद्ध पूर्णिमा' के नाम से जाना जाता है।
● इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी।
➢ बुद्ध ने सांसारिक दुःखों के संबंध में चार आर्य दुःख, दुःख समुदाय, दुःख निरोध एवं दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्यों का उपदेश दिया।
➢ दुःख समुदाय समझने के लिए प्रतीत्य समुत्पाद (कारण-करण सिद्धांत) की व्याख्या की गई है।
➢ सांसारिक दुःखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही, जो इस प्रकार हैं-
(1) सम्यक् दृष्टि (2) सम्यक् संकल्प (3) सम्यक् वाक् (वाणी)
(4) सम्यक् कर्मान्त (5) सम्यक् आजीव (6) सम्यक् व्यायाम
(7) सम्यक् स्मृति (8) सम्यक् समाधि
➢ अष्टांगिक मार्ग का स्रोत 'तैत्तिरीय उपनिषद' है।
➢ बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है - निर्वाण, जिसका अर्थ है, 'दीपक का बुझ जाना' अर्थात जीवन मरण-चक्र से मुक्त हो जाना।
➢ महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाने के लिए निम्न दस शीलों पर बल दिया - (1) सत्य, (2) अहिंसा, (3) अस्तेय (चोरी न करना), (4) अपरिग्रह (किसी प्रकार की संपत्ति न रखना), (5) ब्रह्मचर्य का पालन करना, (6) असमय भोजन न करना, (7) सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, (8) सुगन्धित पदार्थों का त्याग, (9) कामिनी एवं कंचन का त्याग, (10) नृत्य, संगीत आदि से दूर रहना।
● प्रथम पांच शीलों का पालन गृहस्थों के लिए, जबकि भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन अनिवार्य है।

बौद्ध संगीतियां

संगीति	समय	स्थान	अध्यक्ष	शासक
प्रथम	483 ई.पू.	राजगृह	महाकश्यप	अजातशत्रु
द्वितीय	383 ई.पू.	वैशाली	सर्वकामी	कालाशोक
तृतीय	247 ई.पू.	पाटलिपुत्र	मोग्गलिपुततिस्स	अशोक
चतुर्थ	ई. की प्रथम शताब्दी	कुंडलवन (कश्मीर)	वसुमित्र, उपाध्यक्ष अश्वघोष	कनिष्क

➢ महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग (मध्यमा प्रतिपदा) का उपदेश दिया।
➢ बौद्ध धर्म, जैन धर्म के समान अनीश्वरवादी है।
➢ बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जबकि पुनर्जन्म में विश्वास करता है।
➢ जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित हैं।
➢ वैशाली की नगर वधू आम्रपाली भी महात्मा बुद्ध की शिष्या थी।
➢ कालांतर में महायान दो भागों - शून्यवाद (माध्यमिक) एवं विज्ञानवाद (योगाचार) में विभाजित हो गया।
➢ शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे।

- बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा सातवीं शताब्दी में 'वज्रयान' के रूप में विकसित हुई।
- वज्रयानियों ने स्त्री को शक्ति का रूप मानकर पूजा की।
- बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ शृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय भावी बोधिसत्व अभी अवतरित होना है।
- सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी।
- वसुमित्र पहले हीनयानी थे, बाद में महायानी हो गए।
- बुद्ध द्वारा प्रदत्त पंचशील उपदेश का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है।
- बुद्धघोष की कृति 'विशुद्धिमग्ग' में बौद्ध सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किया गया है, इसे 'बौद्ध सिद्धांत कोष' भी कहते हैं।
- जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है।

महाजनपदों का उदय

क्रम.	महाजनपद	राजधानी	वर्तमान स्थिति
1.	अंग	चंपा	भागलपुर, मुंगेर (बिहार)
2.	अवन्ति	उज्जैन/महिष्मती	मालवा (मध्य प्रदेश)
3.	शूरसेन	मथुरा	मथुरा (उत्तर प्रदेश)
4.	काशी	वाराणसी	वाराणसी के आस-पास (उत्तर प्रदेश)
5.	कोशल	श्रावस्ती/साकेत	अयोध्या मंडल (उत्तर प्रदेश)
6.	कुरु	इंद्रप्रस्थ	आधुनिक दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र
7.	कंबोज	हाटक/राजपुर	राजौरी एवं हजारा क्षेत्र (दक्षिण-पश्चिम कश्मीर)
8.	अश्मक	पोटिल/पोतन	गोदावरी नदी क्षेत्र (दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद)
9.	चेदि	शुक्तिमती	बुंदेलखंड (उत्तर प्रदेश)
10.	पांचाल	अहिच्छत्र, काम्पिल्य	बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)
11.	वज्जि	वैशाली/विदेह	मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के मिथिला के आस-पास का क्षेत्र (बिहार)
12.	वत्स	कौशाम्बी	प्रयागराज (इलाहाबाद) के आस-पास (उत्तर प्रदेश)
13.	मगध	गिरिव्रज/राजगृह /पाटलिपुत्र	पटना, गया (बिहार)
14.	मत्स्य	विराटनगर	जयपुर (राजस्थान) के आस-पास का क्षेत्र
15.	मल्ल	पावा तथा कुशीनगर (कुशावती)	कुशीनगर (उत्तर प्रदेश)
16.	गांधार	तक्षशिला	रावलपिंडी एवं पेशावर (पाकिस्तान)

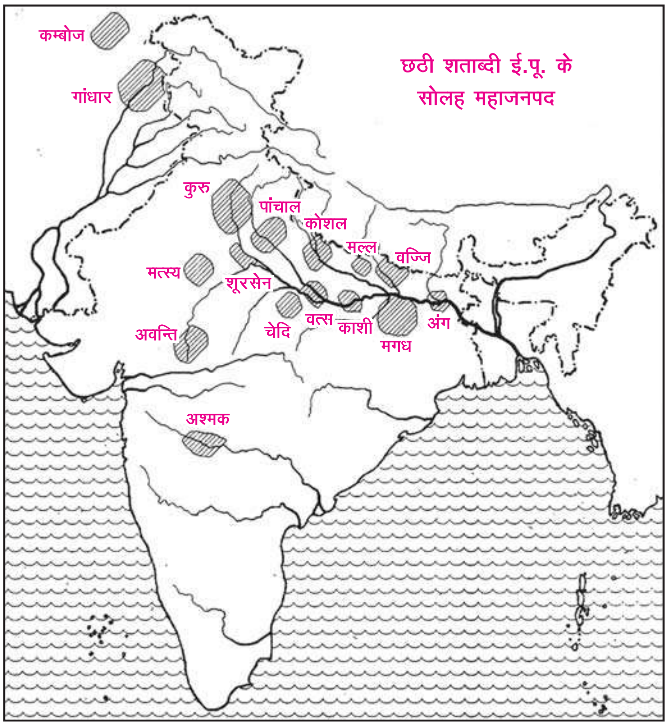

B. जैन धर्म

- जैन शब्द संस्कृत के 'जिन' शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है 'विजेता'।
- जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक ऋषभदेव थे।
- जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमि भगवान श्रीकृष्ण के चचेरे भाई माने जाते हैं।
- जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे।
- पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे।
- इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया।
- 83 दिनों की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।
- इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं थीं- (1) सत्य, (2) अहिंसा, (3) अस्तेय (चोरी न करना), (4) अपरिग्रह (संपत्ति न रखना)।
- पार्श्वनाथ के अनुयायी निर्ग्रंथ कहे जाते थे।
- निर्ग्रंथ चार गणों (संघों) में विभाजित थे, प्रत्येक गण एक गणहार के अधीन था।
- महावीर के माता-पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे।
- महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे।
- महावीर का जन्म 599ई.पू. में कुंडग्राम (वैशाली) में हुआ था।
- महावीर के पिता सिद्धार्थ 'ज्ञातृक कुल' के मुखिया तथा माता त्रिशला लिच्छवि राजा चेटक की बहन थीं।
- महावीर स्वामी के बचपन का नाम 'वर्द्धमान' था।
- महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं इनकी पुत्री का नाम अनोज्जा/अणोज्जा, प्रियदर्शना था।
- महावीर ने 30 वर्ष की आयु में माता-पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यासी जीवन को अपनाया।
- 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर को जृम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ।